इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 अगस्त 2024—श्रावण 21, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्र. 12276—149—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह अधिनियम, २०२४

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य

३. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य.

अध्याय-तीन

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था वास-सुविधा

४. बन्दियों के लिए वास-सुविधा.

५. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाः वास्तुकला तथा संस्थागत स्वरूप.

६. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं की श्रेणियां.

७. बन्दियों के लिए अस्थायी वास-सुविधा.

अध्याय-चार

संगठनात्मक व्यवस्था

८. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक सेवा संचालनालय.

९. संचालनालय का प्रमुख.

१०. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अन्य पदधारी.

११. भर्ती एवं प्रशिक्षण.

अध्याय-पांच

सुधारात्मक सेवा पदधारियों के कर्तव्य

१२. अधीक्षक के कृत्य तथा कर्तव्य.

१३. चिकित्सा अधिकारी.

१४. अन्य बन्दीगृह पदधारियों के कर्तव्य.

१५. सिद्धदोष पदधारी.

१६. अधीक्षक की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग.

१७. सुधारात्मक सेवा पदधारियों का बंदियो के साथ व्यापारिक संव्यवहार न रखना तथा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अनुबंधों में हित न रखना.

१८. पदधारी कल्याण.

अध्याय-छह

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन में प्रौद्यौगिकी का उपयोग

१९. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग.

अध्याय-सात

बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और उन्मोचन

२०. बंदियों का प्रवेश.

२१. किसी बंदी का अन्य राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण.

२२. मानसिक रोग से ग्रस्त बंदियों का स्थानांतरण.

२३. प्रवेश, निकास और पुनर्प्रवेश पर बंदियों की तलाशी और जांच की जाना.

२४. बंदियों की वस्तुएं.

२५. विदेशी बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन.

अध्याय-आठ

बंदियों का वर्गीकरण

२६. वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति की संरचना.

२७. वर्गीकरण के आधार और श्रेणियां.

अध्याय-नौ

उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा

२८. बंदियों की आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध समुचित उपाय करना.

२९. कर्तव्यस्थ सुधारात्मक सेवा पदधारियों की सुरक्षा, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और चक्रानुक्रम के लिए विशेष प्रावधान.

अध्याय-दस

महिला बंदियों के लिए बन्दीगृह और सुधारात्मक संस्था व्यवस्था

३०. महिला बंदियों के लिए पृथक वास-सुविधा.

३१. गर्भवती महिला बंदी.

३२. महिला या पुरूष बंदी जिसके साथ बच्चे हैं.

३३. किसी बंदी के यौन उत्पीड़न या गुदा मैथुन की शिकायतों की जांच.

अध्याय-ग्यारह

ट्रांसजेंडर बंदी

३४. ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था व्यवस्था.

अध्याय-बारह

बंदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा

३५. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा सुरक्षा.

३६. बंदियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन

३७. बंदियों से मुलाकात.

३८. सुधारात्मक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा आगंतुकों की तलाशी.

अध्याय-तेरह

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन

३९. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन.

४०. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अपराधों तथा शास्तियों का प्रदर्शन.

४१. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अपराध.
४२. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराधों के लिए दण्ड़.
४३. अन्य विधियों के अधीन आने वाले अपराधों के लिए प्रक्रिया.
४४. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने पर प्रक्रिया.
४५. भाग निकलने या भाग निकलने के प्रयत्न के लिए दण्ड.
४६. वायरलेस संचार उपकरणों और / या उनके सहायक अवयव पर कब्जा करने या उपयोग करने के लिए दण्ड.
४७. दण्ड पुस्तिका में प्रविष्टियां.

अध्याय-चौदह

दण्डादेश योजना

४८. व्यक्तिगत दण्डादेश योजना.
४९. कार्य योजना एवं मजदूरी.

अध्याय-पंद्रह

खुली सुधारात्मक संस्थाएं

५०. खुली सुधारात्मक संस्थाएं.

अध्याय-सोलह

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की अवकाश, परिहार और समय पूर्व निर्मुक्ति

५१. पैरोल और फरलो.
५२. बंदियों को परिहार.
५३. समय-पूर्व निर्मुक्ति.

अध्याय-सत्रह

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं का निरीक्षण

५४. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं का निरीक्षण.

अध्याय-अठारह

विविध

५५. विधिक सहायता.
५६. प्रत्येक जिले के लिए विचारणाधीन बंदी पुनर्विलोकन समिति का गठन.
५७. शिकायत निवारण तंत्र.
५८. सिविल और विचारणाधीन आपराधिक बंदियों को वस्त्र और बिस्तर की आपूर्ति.
५९. हड़ताल और आंदोलन का निषेध.
६०. आपातकाल.
६१. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था विकास बोर्ड.
६२. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
६३. लेखा एवं संपरीक्षा.
६४, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
६५. पुरस्कार और मान्यता.
६६. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.
६७. निरसन तथा व्यावृत्ति.
६८. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह अधिनियम, २०२४

[दिनांक 6 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति, "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

विधि का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उद्धार पुनर्वास, तथा सुधार और मध्यप्रदेश राज्य में बन्दीगृह के प्रबंधन तथा सुधारात्मक सेवाओं के लिए भी और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह अधिनियम, २०२४ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(१) "अनुरक्षण सेवा" से अभिप्रेत है, निर्मुक्त किए गए बन्दी को कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में जीवन यापन करने में समर्थ बनाने हेतु, उसके पुनर्वास पर केन्द्रित कोई सेवा या गतिविधि;

(२) "सिविल बन्दी" से अभिप्रेत है, कोई बन्दी जो आपराधिक बन्दी नहीं है;

(३) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा यथा घोषित सक्षम प्राधिकारी;

(४) "सिद्धदोष" से अभिप्रेत है, कोई बन्दी जो दांडिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या सेना न्यायालय के दंडादेश के अधीन है;

(५) "सुधारात्मक सेवा" से अभिप्रेत है, कोई सेवा या कार्यक्रम, जो कैदी के सुधार तथा पुनर्वास पर केन्द्रित हो और इसमें किसी कैदी को दिए गए दण्ड के निष्पादन, निर्धारण, पर्यवेक्षण, उपचार, प्रशिक्षण, नियंत्रण तथा अभिरक्षा से संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं;

(६) "सुधारात्मक सेवा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार या संचालनालय द्वारा यथास्थिति, इस अधिनियम या सरकार द्वारा समनुदेशित शक्तियों के प्रयोग या प्रशासन से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कोई कर्मचारी;

(७) "न्यायालय" में विधिपूर्वक सिविल, दाण्डिक या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी सम्मिलित है;

(८) "आपराधिक बन्दी" से अभिप्रेत है, दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के याचिका, अधिपत्र (वारंट), आदेश के अधीन अथवा किसी सेना न्यायालय के आदेश द्वारा अभिरक्षा में सम्यक रूप से सुपुर्द कोई बन्दी और जो नजरबंद न हो;

(९) "नजरबंद बन्दी" से अभिप्रेत है, निवारक निरोध या उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में निरूद्ध कोई व्यक्ति;

(१०) "संचालनालय" से अभिप्रेत है, राज्य का बन्दीगृह एवं सुधारात्मक सेवा का संचालनालय;

(११) "परिवार" से अभिप्रेत है, पति या पत्नी, बच्चे, सहोदर, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोतियां और ट्रांसजेडर बन्दियों के सन्दर्भ में, सामाजिक-धार्मिक, पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से संबंधित लोग;

(१२) "विदेशी बन्दी" से अभिप्रेत है, कोई बंदी जो भारत का नागरिक न हो;

(१३) "प्रावकाश" से अभिप्रेत है, किसी सिद्धदोष को दण्डादेश की विहित कालावधि को पूरा करने के पश्चात् बन्दीगृह या सुधारात्मक संस्था में अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया गया संक्षिप्त अवकाश;

(१४) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(१५) "आदतन अपराधी" से अभिप्रेत है, ऐसा बन्दी जो अपराधों के लिए बार-बार बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं को भेजा गया हो;

(१६) "संचालनालय का प्रमुख" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा संचालनालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी;

(१७) "उच्च-जोखिम वाले बन्दी" से अभिप्रेत है, हिंसा, निकल भागने, आत्मघात करने, उच्छृंखल व्यवहार की उच्च प्रवृत्ति वाला कोई बंदी, जिससे बन्दीगृह या सुधारात्मक संस्था में अशांति और लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो और इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त बन्दी सम्मिलित हैं;

(१८) "उच्च सुरक्षा बन्दीगृह" से अभिप्रेत है, उच्च जोखिम वाले बन्दी को रखने हेतु, एक स्वतंत्र न्यायालय परिसर की व्यवस्था के साथ, सक्रिय तथा सुदृढ़ व्यवस्था के साथ कोई स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बन्दीगृह परिसर, जो किसी बन्दीगृह या सुधारात्मक संस्था का भाग हो;

(१९) "वृत्त पत्रक" से अभिप्रेत है, भौतिक अथवा इलेक्ट्रानिक प्ररूप में पत्रक, जिसमें किसी बन्दी के संबंध में समस्त सुसंगत जानकारी प्रदर्शित हो;

(२०) "कैदी" से अभिप्रेत है, किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में विधिकपूर्वक परिरूद्ध कोई व्यक्ति;

(२१) "अल्पवय अपराधियों के लिए संस्था" से अभिप्रेत है, अल्पवय बन्दियों के लिए, उनकी देखभाल, कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उनके सुधार में सहायक शिक्षा तथा प्रशिक्षण का वातावरण उपलब्ध करने हेतु स्थापित कोई बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था;

(२२) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के संबंध में "चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है, अर्हता प्राप्त शासकीय चिकित्सा अधिकारी जो बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के चिकित्सा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हो;

(२३) "अधीनस्थ चिकित्सा कर्मचारीवृंद" से अभिप्रेत है, कोई अर्हता प्राप्त चिकित्सा सहायक, जो उस रूप में बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था मे प्रतिनियुक्त हो;

(२४) "खुली सुधारात्मक संस्था" से अभिप्रेत है, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए, पात्र बन्दियों के परिरोध के लिए कोई स्थान;

(२५) "पैरोल" से अभिप्रेत है, पारिवारिक या सामाजिक दायित्वों में उपस्थित होने के लिए अल्पकालावधि के लिए किसी सिद्धदोष की अस्थायी निर्मुक्ति;

(२६) "बन्दीगृह एवं सुधारामक संस्था" से अभिप्रेत है, बन्दियों को सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से उपयोग किया जाने वाला कोई स्थान और इसमें उससे संलग्न समस्त भूमि तथा भवन सम्मिलित हैं,

परन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,-

(क) कोई स्थान, जो अनन्य रूप से पुलिस अभिरक्षा में के बन्दियों के परिरोध के लिए है;

(ख) कोई स्थान, जो सरकार द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६) की धारा ४५७ के अधीन विशेष रूप से नियत किया गया है;

(ग) कोई स्थान जिसे सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा उप बन्दीगृह के रूप में घोषित किया गया है.

(२७) "बन्दी" से अभिप्रेत है, किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की याचिका, अधिपत्र (वारंट), आदेश या दण्डादेश के अधीन किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया गया कोई व्यक्ति और इसमें सिद्धदोष बन्दी, सिविल बन्दी, आपराधिक बन्दी, विचारणाधीन बन्दी, किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की अभिरक्षा में रखा गया बन्दी तथा कोई नजरबंद बन्दी सम्मिलित है;

(२८) "प्रतिषिद्ध वस्तु" से अभिप्रेत है, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे बन्दियों, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक सेंवाओं के पदधारियों, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के बचाव तथा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है या बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था या सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध कोई वस्तु, पदार्थ या सामग्री, जिसके बन्दियों के कब्जे में होने से उसका हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है या ऐसी वस्तु, जिसका किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में लाया जाना या वहां से हटाया जाना इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विरचित नियमों द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा या सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध है;

(२९) "आवर्ती अपराधी (रिसिडिविस्ट)" से अभिप्रेत है, कोई बन्दी जो किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषसिद्ध किया गया है;

(३०) "परिहार" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश की अवधि को कम कर, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से पूर्व निर्मुक्ति की प्रत्याशा के साथ, किसी पात्र सिद्धदोष बन्दी को प्रदान की गई छूट, जैसी कि नियमों के अधीन विहित की जाए;

(३१) "नियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(३२) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(३३) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में उपबंधित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त किसी सुधारात्मक सेवा का पदधारी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(३४) "विचारणाधीन बन्दी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो सिद्धदोष के रूप में कोई दण्डादेश नहीं भुगत रहा है और जिसे लंबित जांच या विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा के सुपुर्द किया गया है;

(३५) "वायरलेस संचार उपकरण" से अभिप्रेत है, वायरलेस संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई उपकरण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अन्य उपकरण;

(३६) "युवा अपराधी" से अभिप्रेत है, कोई बन्दी जिसने १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और २१ वर्ष की आयु पूर्ण न की हो;

अध्याय-दो
बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य.

३. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

(क) किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की किसी याचिका, वारन्ट के अधीन या आदेश द्वारा उसे सुपुर्द किए गए बन्दी को अभिरक्षा में रखना, जैसा कि निमयों के अधीन विहित किया जाए;

(ख) बन्दियों के बचाव तथा सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(ग) बन्दियों को आवास, भोजन, कपड़े, स्वच्छ तथा पर्याप्त जल, प्रसाधन सामग्री, अन्य आवश्यकताएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(घ) बन्दियों को लिंग संवेदी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच उपलब्ध कराना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(ड.) बन्दियों को, समाज में विधि का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में, उन्हें पुनर्वासित करने के उद्देश्य के साथ सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना;

(च) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुशासन बनाए रखना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(छ) बन्दियों के समाज में पुनः एकीकरण तथा पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पश्चात्वर्ती देखभाल सेवा उपलब्ध कराना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

अध्याय-तीन
बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाः वास-सुविधा

बन्दियों के लिए वास–सुविधा.

४. सरकार बन्दियों की वास-सुविधा हेतु राज्य में पर्याप्त संख्या में बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं की व्यवस्था करेगी, जो ऐसी रीति में निर्मित तथा संधारित किए जाएंगे, जिससे इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन हो सके, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था वास्तुकला तथा संस्थागत स्वरूप.

५. (१) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के निर्माण का स्वरूप, भू तल क्षेत्र, खुला क्षेत्र, प्रकोष्ठ, बैरकों का संवातन, नहाने का स्थान, रसोई घर, वर्कशेड तथा अस्पताल ऐसे मानकों तथा अपेक्षाओं को पूरा करते हों, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(२) प्रत्येक बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के सुरक्षा मानक ऐसे होंगे जैसे कि नियमों के अधीन विहित किए जाएं.

(३) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था का अभिविन्यास इस प्रकार किया जाएगा, जिससे विभिन्न श्रेणियों के बन्दियों के पृथक्करण तथा पृथक वास में सुविधा हो और/या बन्दियों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(४) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की व्यवस्था में कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार सुधारात्मक सेवा पदधारी के लिए वास-सुविधा तथा अन्य सुविधाएं सम्मिलित होंगी.

(५) जहां उच्च सुरक्षा बन्दीगृह की अलग व्यवस्था न हो, वहां उच्च जोखिम बन्दियों तथा आदतन अपराधियों को पृथक किया जाएगा और बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के पृथक बैरकों तथा प्रकोष्ठों (सेलों) में रखा जाएगा, जहां उन्हें दूर रखने की व्यवस्था हो ताकि अन्य कैदियों से घुल मिल न सकें, जैसा कि नियमों के अधीन विहित हो.

(६) उपधारा (५) में यथा निर्दिष्ट ऐसी पृथक वास-सुविधा का समुचित, उन्नत, वास्तुकला, अभिविन्यास और संस्थागत स्वरूप होगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं की श्रेणियां.

६. (१) सरकार विभिन्न श्रेणियों के बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाएं स्थापित कर सकेगी, जो कि निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था;
(ख) जिला बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था;
(ग) उप-बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था;
(घ) खुली सुधारात्मक संस्था;
(ङ) केवल महिला बन्दियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था;
(च) अल्पवय अपराधियों के लिए सुधारात्मक संस्था;

(२) सरकार किसी भी श्रेणी के बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं की संख्या तथा स्थान, जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा अवधारित कर सकेगी.

(३) प्रत्येक केन्द्रीय बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था/जिला बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में उच्च जोखिम वाले बन्दियों/आवर्ती अपराधियों (रिसिडिविस्ट)/आदतन अपराधियों के लिए पृथक वार्ड की व्यवस्था होगी, उन्हें सेल में पृथक रूप से रखा जाएगा जहां अन्य कैदियों के साथ घुलने मिलने का कोई अवसर न हो, जिससे अन्य बन्दियों को उनके नकारात्मक प्रभाव तथा कट्टरपंथी विचार प्रक्रिया से बचाया जा सके.

(४) समस्त केन्द्रीय/जिला बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं में उच्च जोखिम वाले बन्दियों के वार्ड वाले स्थान पर समुचित तथा उन्नत सुरक्षा अधोसंरचना तथा प्रकियाएं होंगी. ऐसे केन्द्रीय बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में न्यायालय की सुनवाई हेतु एक स्वतंत्र न्यायालय परिसर के लिए भी समुचित उपबंध किए जा सकेगें.

बन्दियों के लिए अस्थायी वास–सुविधा

७. जब कभी भी सरकार को यह प्रतीत होता है कि,-

(क) किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में बन्दी उस संख्या से अधिक हैं जितने सुविधापूर्वक या सुरक्षित रूप से उसमें रखे जा सकते हैं, और अतिरिक्त संख्या को किसी अन्य बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में स्थानांतरित किया जाना समीचीन नहीं है; या

(ख) जब कभी भी किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में किसी बीमारी के प्रकोप से, या किसी अन्य कारण से, बन्दियों को अस्थायी आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है तो;

अस्थायी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लिए समुचित उपबंध ऐसी रीति में किए जा सकेंगे जैसा कि सरकार समय-समय पर निदेश दे.

अध्याय-चार
संगठनात्मक व्यवस्था

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक सेवा संचालनालय.

८. (१) राज्य में बन्दीगृह एवं सुधारात्मक सेवा का एक संचालनालय होगा, जो सरकार द्वारा अधिकथित सुधारात्मक सेवा नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी होगा और समस्त बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं तथा उससे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक विषयों हेतु योजना बनाएगा, संचालित, निर्देशित, समन्वय तथा नियंत्रित करेगा. संचालनालय ऐसी संख्या में पदधारियों से मिलकर बनेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए.

(२) संस्थागत व्यवस्था बन्दियों की आवश्यकता और अपेक्षा, कैदियों की संख्या और सुधारात्मक सेवा पदधारियों के कार्यभार के अनुसार विनिश्चित की जा सकेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित हो.

संचालनालय का प्रमुख.

९. (१) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सुधारात्मक सेवाओं के प्रशासन के लिए समुचित श्रेणी के संचालनालय के प्रमुख को नियुक्त करेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(२) संचालनालय का प्रमुख इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सुधारात्मक सेवाओं के अन्य पदधारी संचालनालय के प्रमुख के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे.

(३) संचालनालय का प्रमुख ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय और अनुशासनात्मक शक्तियों का, जिनका विभाग के प्रमुख द्वारा प्रयोग किया जा सकता हो और ऐसी अन्य शक्तियों का, जो समय-समय पर, सरकार द्वारा विशेष रूप से उसे प्रदत्त की जाएं, प्रयोग करेगा.

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अन्य पदधारी.

१०. (१) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संचालनालय के प्रमुख की सहायता करने हेतु उतने पदधारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने कि वह आवश्यक समझे, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(२) प्रत्येक बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लिए, एक अधीक्षक तथा अन्य पदधारी होंगे, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(३) किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था का सामान्य प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन अधीक्षक में निहित होगा और अन्य पदधारी उसके निदेशन के अधीन, ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेंगे, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

(४) अधीक्षक, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के दैनिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए बंदियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

भर्ती एवं प्रशिक्षण.

११. (१) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के पदधारियों की योग्यताएं, भर्ती, नियुक्ति और प्रशिक्षण नियमों के अनुसार होंगे;

(२) पदधारियों के वेतन और अन्य लाभ, समय समय पर सरकार द्वारा विहित किए गए अनुसार होंगे;

(३) सुधारात्मक सेवा विभाग के समस्त पदधारियों को बुनियादी प्रेरण प्रशिक्षण के साथ समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो उन्हें अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और वृत्तिकरूप से निवर्हन करने में सक्षम बनाता हो.

अध्याय-पांच
सुधारात्मक सेवा पदधारियों के कर्तव्य

अधीक्षक के कृत्य तथा कर्तव्य.

१२. (१) (क) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन या संचालनालय प्रमुख के आदेशों और निदेशों के अधीन रहते हुए, अधीक्षक, बंदियों के प्रवेश, बन्दीगृह और सुधारक संस्था की सुरक्षा, सुधारात्मक सेवाएं, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की सुरक्षा, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अंदर आगंतुकों को अनुमति देना, व्यय, अनुशासन, दंड और नियंत्रण, अन्य अधीनस्थ पदधारियों को सहयोग एवं सहायता से बंदियों की निर्मुक्ति और पुनर्वास सहित समस्त मामलों में बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था का प्रबंधन करेगा.

(ख) सरकार द्वारा दिए गए ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, केंद्रीय बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से भिन्न अधीक्षक, इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी भी नियम से अनअसंगत समस्त आदेशों का पालन करेंगे जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था को इसके संबंध में दिए जाएं और ऐसे समस्त आदेशों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में संचालनालय प्रमुख को रिपोर्ट करेगा.

(२) अधीक्षक, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था और उसके प्रभार के अधीन बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के समस्त उपकरणों और मशीनरी के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा.

(३) अधीक्षक, उसकी देखभाल में इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में अभिलेखों को सम्मिलित करते हुए, समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों तथा बंदी से लिए गए धन और अन्य वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा नियमों में विहित किया जाए.

(४) अधीक्षक, यदि उसके मत में किसी बंदी को बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के बाहर किसी अस्पताल में विशेष उपचार अपेक्षित है तो, वह उसे ऐसे अस्पताल में भेज सकेगा या भिजवा सकेगा.

चिकित्सा अधिकारी.

१३. (१) **चिकित्सा अधिकारी.**- प्रत्येक बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लिए एक चिकित्सा अधिकारी होगा. यदि चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, तो शासकीय चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या भारसाधक चिकित्सक, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करेगा.

(२) **चिकित्सा अधिकारी का कतिपय मामलों में रिपोर्ट करना.**- जब भी चिकित्सा अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी बंदी का मस्तिष्क उस अनुशासन या उपचार जिसके वह अध्यधीन है, से हानिकारक रूप से प्रभावित हो रहा है या होने की संभावना है, तो चिकित्सा अधिकारी मामले के विवरण को अधीक्षक को लिखित रुप में रिपोर्ट करेगा, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए. यह रिपोर्ट, अधीक्षक के आदेशों के साथ, आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल संचालनालय प्रमुख को भेजी जाएगी.

(३) **किसी बंदी की मृत्यु पर रिपोर्ट.**- किसी भी बंदी की मृत्यु पर, चिकित्सा अधिकारी अतिशीघ्र मामले के समस्त सुसंगत ब्यौरे दर्ज करेगा और अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा. अधीक्षक तत्काल ऐसी टिप्पणियों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, एक विस्तृत रिपोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संचालनालय प्रमुख, जिला मजिस्ट्रेट, मानवाधिकार आयोग और संबंधित न्यायालय यदि कोई हो, को भेजेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(४) **चिकित्सा अधिकारियों के निदेशन का अभिलेख.**- किसी बंदी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा दिए गए समस्त निदेश, दवाओं की आपूर्ति के आदेश या ऐसे मामलों से संबंधित निदेशों के अपवाद के साथ, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं या उसके अधीक्षण के अधीन कार्यान्वित किया जाता है, बंदी की स्वास्थ्य पुस्तिका में या ऐसे अन्य अभिलेख में, दिन प्रतिदिन दर्ज किए जाएंगे, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

अन्य बन्दीगृह पदधारियों के कर्तव्य.

१४. अधीक्षक के अधीनस्थ अन्य समस्त सुधारात्मक सेवा पदधारी, ऐसे कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेंगे जो अधीक्षक द्वारा उन्हें सौंपे जाएं या सुधारात्मक सेवा के पदधारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सौंपे गए कृत्यों और उत्तरदायित्वों पर आधारित है, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

सिद्धदोष पदधारी.

१५. जिन बंदियों को बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के पदधारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५) के अर्थ के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा.

अधीक्षक की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग.

१६. अधीक्षक की समस्त या किन्ही शक्तियों और कर्तव्यों का, उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अन्य पदधारी द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय प्रमुख या तो नाम या आधिकारिक पदनाम द्वारा विहित करे.

सुधारात्मक सेवा पदधारियों का बंदियों के साथ व्यापारिक संव्यवहार न रखना तथा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अनुबंधों में हित न रखना.

१७. कोई भी सुधारात्मक सेवा पदधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बंदी या किसी बंदी के रिश्तेदार या मित्र के साथ कोई व्यापारिक व्यवहार नहीं करेगा, न ही उसका किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के साथ कोई व्यापारिक संव्यवहार होगा या बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था को कोई रसद या किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति के लिए किसी अनुबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित रखेगा, न ही वह ऐसी किसी रसद या वस्तुओं की बिक्री या खरीद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करेगा.

पदधारी कल्याण

१८. संचालनालय प्रमुख सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों के लिए कल्याणकारी उपायों के क्रियान्वयन में सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए एक पदधारी कल्याण विंग की स्थापना कर सकेगा.

अध्याय-छह

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग.

१९. (१) सरकार, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन, अधीक्षण और बंदियों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए समुचित प्रौद्योगिकी को एकीकृत और अंतर्निहित करने का प्रयत्न करेगी.

(२) सरकार, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन को कम्प्यूटरीकृत करेगी और डेटाबेस को बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ एकीकृत करेगी. सरकार, केंद्र सरकार की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त इंटरफेस भी विकसित करेगी.

(३) सरकार, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनधिकृत वायरलेस संचार उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पता लगाने और उनके उपयोग को प्रतिषिद्ध करने हेतु अत्याधुनिक तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करेगी.

अध्याय-सात
बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और उन्मोचन

बंदियों का प्रवेश.

२०. (१) अधीक्षक, इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा, किसी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी याचिका, वारंट या आदेश की अत्यावश्यकतानुसार, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में उसकी अभिरक्षा के सुपुर्द किया गया है, सम्यक रूप से सुपुर्द किए गए व्यक्ति को प्राप्त करेगा और तब तक निरुद्ध रखेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को किसी विधि के अंतर्गत उचित कार्रवाई के अधीन उन्मोचित न कर दिया जाए या हटा न दिया जाए.

(२) अधीक्षक, ऐसी याचिका, वारंट या आदेश के निष्पादन के पश्चात् या एतद्द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति के उन्मोचन के पश्चात्, उसे एक सम्यक् हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के साथ, जिसमें दर्शाया गया हो कि उसे कैसे निष्पादित किया गया है या एतद्द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति को उसके निष्पादन से पूर्व अभिरक्षा से क्यों निर्मुक्त कर दिया गया है, उस न्यायालय को लौटा देगा जिसके द्वारा इसे जारी किया गया था.

(३) अधीक्षक, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन, किसी भी व्यक्ति के निरोध के लिए किसी भी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या जारी की गयी शास्ति या आदेश या वारंट को प्रभावी कर सकेगा.

(४) जहां अधीक्षक को निष्पादन के लिए भेजे गए वारंट या आदेश की वैधता पर संदेह है, तो वह मामले को संबंधित न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी को पुष्टि के लिए निर्दिष्ट करेगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन किए गए संदर्भ के लंबित रहने तक बंदी को ऐसी रीति से और ऐसे प्रतिबंधों या शमन के साथ निरुद्ध में लिया जाएगा, जैसा कि वारंट या आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(६) किसी भी व्यक्ति को विधिपूर्ण वारंट प्रस्तुत करने के अधीन या किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधीक्षक को संबोधित सुपुर्दगी के किसी आदेश के अधीन के सिवाय निरोध में लेने के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

किसी बंदी का अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण.

२१. (१) जहां कोई भी व्यक्ति कारावास के दंडादेश के अधीन या मृत्यु दंडादेश के अधीन या जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर या शांति बनाए रखने या संव्यवहार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर, राज्य के बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में परिरूद्ध है, सरकार किसी अन्य राज्य की सरकार की पारस्परिक सहमति से, आदेश द्वारा, बंदी को उस बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से दूसरे राज्य के किसी भी बन्दीगृह में स्थानांतरित करने का उपबंध कर सकेगी.

(२) राज्य के किसी भी विचारणाधीन बंदी का अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण विचारण न्यायालय की सहमति से किया जाएगा.

मानसिक रोग से ग्रस्त बंदियों का स्थानांतरण.

२२. सरकार/सक्षम प्राधिकारी, एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १०) की धारा १०३ में उल्लिखित बोर्ड की पूर्व अनुमति से मानसिक रोग से पीड़ित किसी भी बंदी को निरोध के स्थान से राज्य में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थानांतरित करने का निदेश दे सकेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

प्रवेश, निकास और पुनर्प्रवेश पर बंदियों की तलाशी और जांच की जाना.

२३. (१) जब भी किसी बंदी को बन्दीगृह और सुधारात्मक संस्था में प्रवेश दिया जाता है, तो उसकी तलाशी ली जाएगी, समस्त नकदी, आभूषण, हथियार और निषिद्ध वस्तुएं या कोई अन्य वस्तु जिसे बंदी अपने पास नहीं रख सकता, ले ली जाएगी और उसे अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदधारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगाः

परंतु, किसी महिला बंदी या ट्रांसजेंडर बंदी की तलाशी समुचित रीति से की जाएगी, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

(२) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में प्राप्त प्रत्येक बंदी को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, २०२२ (२०२२ का ११) या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे शारीरिक और बायोमेट्रिक पहचान मापों से गुजरना होगा.

(३) ऐसे प्रत्येक बंदी की उसी दिन या २४ घंटे के अपश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, जो वर्तमान या अतीत की किसी भी बीमारी सहित, बंदी की स्वास्थ्य स्थिति, अभिलेख में दर्ज करेगा.

(४) प्रत्येक बंदी जो बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था छोड़ देता है या बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में पुनःप्रवेश करता है तो बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में ऐसी प्रत्येक निकासी या प्रवेश पर उसकी तलाशी ली जाएगी और उसकी भौतिक और बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी.

(५) किसी भी प्रतिषिद्ध वस्तु का पता लगाने के लिए किसी भी बंदी की किसी भी समय तलाशी ली जा सकेगी.

बंदियों की वस्तुएं.

२४. किसी बंदी की समस्त मूल्यवान वस्तुएं, जिनके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं दिया गया है, और जो नियमों के अधीन किसी बंदी द्वारा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में लायी जा सकती हैं या बंदी के उपयोग के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में भेजी जा सकती हैं, उन्हें इस निमित्त अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत पदधारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा.

विदेशी बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन.

२५. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में किसी विदेशी बंदी के प्रवेश की सूचना तत्काल संचालनालय प्रमुख को भेजी जाएगी और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या किसी अन्य अभिकरण को, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अग्रेषित की जाएगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

अध्याय-आठ
बंदियों का वर्गीकरण

वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति की संरचना.

२६. बंदियों के वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया जा सकेगा, जो सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों और अन्य पदधारियों से मिल कर बनेगी जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

वर्गीकरण के आधार और श्रेणियां.

२७. (१) वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में प्रवेशित बंदियों को उनकी उम्र, लिंग, सजा की अवधि, बचाव और सुरक्षा आवश्यकताओं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और सुधारात्मक आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगी, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

(२) बंदियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन वर्गीकृत किया जा सकेगा, अर्थात् : -

(क) सिविल बंदी;
(ख) आपराधिक बंदी;
(ग) नजरबंद बन्दी (डिटेन्यू).

(३) उप-धारा (२) में वर्गीकृत बंदियों को निम्नलिखित और उप-श्रेणियों के अधीन वर्गीकृत किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) सिद्धदोष बंदी;
(ख) विचारणाधीन बंदी;
(ग) मादक द्रव्य व्यसनी और शराबी अपराधी;
(घ) पहली बार अपराधी;
(ङ) विदेशी बंदी;

(च) आदतन अपराधी;
(छ) उच्च जोखिम वाले बंदी;
(ज) वृद्ध और अशक्त बंदी (६५ वर्ष से अधिक);
(झ) मृत्युदंड पाए बंदी;
(ञ) मानसिक रोग से ग्रस्त बंदी;
(ट) संक्रामक/पुरानी बीमारियों से पीड़ित बंदी;
(ठ) आवर्ती अपराधी;
(ड) महिला बंदी;
(ढ) महिला बंदी के साथ बच्चे;
(ण) पुरुष बंदी के साथ बच्चे;
(त) युवा अपराधी;

(४) विचारणाधीन बंदी, सिद्धदोष बंदी, सिविल बंदी, नजरबंद बन्दी और आवर्ती अपराधी को अलग-अलग बैरकों/बाड़ों/प्रकोष्ठों (सेल) में रखा जा सकेगा.

(५) बंदियों को लिंग के आधार पर पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को अलग किया जा सकेगा और पृथक-पृथक रखा जा सकेगा.

(६) अन्य बंदियों को नकारात्मक प्रभाव और कट्टरपंथी विचार प्रक्रिया से संरक्षित करने की दृष्टि से उच्च जोखिम वाले बंदियों को विशेष प्रकोष्ठ (सेल) और/या उच्च सुरक्षा बन्दीगृहों में रखा जाएगा.

(७) अधीक्षक, उच्च जोखिम वाले बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता और सावधानी बरतेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

अध्याय-नौ
उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा

बंदियों की आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध समुचित उपाय करना.

२८. (१) उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के लिए समस्त समुचित उपाय करना राज्य के संचालनालय और पुलिस विभाग का उत्तरदायित्व होगा.

(२) बंदी द्वारा किए गए अपराध के विवरण, उपलब्ध पृष्ठभूमि अभिलेख और वृत्त पत्रक के आधार पर, बंदियों को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाएगा, उनकी प्रवृत्ति और अन्य बंदियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा और अलग बैरक/प्रकोष्ठों में रखा जाएगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(३) समाज और पीड़ितों के संरक्षण की दृष्टि से, उच्च जोखिम वाले बंदी और आदतन अपराधी सामान्य तौर पर पैरोल, फरलो या किसी भी प्रकार की बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की छुट्टी के हकदार नहीं होंगे.

कर्तव्यस्थ सुधारात्मक सेवा पदधारियों की सुरक्षा, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और चक्रानुक्रम के लिए विशेष प्रावधान.

२९. (१) अधीक्षक ऐसे बंदी पर विशेष पहरा और निगरानी सुनिश्चित करेगा जो गिरोह की गतिविधियों में लिप्त होने की और साक्षियों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति रखते हैं.

(२) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में गतिशील सुरक्षा सुनिश्चित करने, भाग निकलने से रोकना, व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं को रोकने के लिए, बंदियों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए समुचित उपबंध, बंदियों का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा पर्यवेक्षण और सुसंगत जानकारी का विश्लेषण अधीक्षक द्वारा विभिन्न खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय कर किया जाएगा.

(३) अधीक्षक, उच्च जोखिम वाले बंदियों की कोठरियों और बैरकों में तलाशी, सामयिक तलाशी और प्रतिबंधित सामग्री, मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए सुदृढ़ और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करेगा और ऐसे क्षेत्रों में बार-बार औचक निरीक्षण सहित उन्नत जैमिंग समाधान तैनात करेगा.

(४) अधीक्षक बैरकों और कक्षों में तैनात सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों का सामयिक अंतराल पर चक्रानुक्रम सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

(५) सजा पूरी होने पर या अन्यथा किसी भी बंदी की रिहाई की सूचना संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, जो ऐसे बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे.

(६) जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकारी के याचिका, वारंट या आदेश के अनुसार, यथास्थिति, न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायालय या चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर आने-जाने के दौरान बंदी की आवाजाही को पूरी तरह से सुरक्षित करेगा.

(७) पुलिस विभाग, अधीक्षक द्वारा वांछित होने पर, ऐसे यथोचित् समय के भीतर, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए, बंदी का आपराधिक इतिहास प्रदान करेगा.

(८) किसी बंदी को विशेष निगरानी या देखभाल की आवश्यकता की दशा में, पुलिस विभाग बंदी के आपराधिक इतिहास के साथ ऐसी अपेक्षा को अधीक्षक के साथ साझा करेगा.

अध्याय-दस
महिला बंदियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था व्यवस्था

महिला बंदियों के लिए पृथक् वास–सुविधा.

३०. (१) सरकार, महिला बंदियों के लिए उतनी संख्या में विशेष बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाएं स्थापित कर सकेगी, जितनी कि वह महिला बंदियों की आवास सुविधा के लिए आवश्यक समझे. महिला बंदियों को रखने के लिए, महिला और पुरुष दोनों बंदियों वाले बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में, महिला बंदियों को एक पृथक् भवन या एक पृथक् प्रवेश द्वार के साथ उसी भवन के एक अलग हिस्से में इस तरह से रखा जाएगा, कि वे पुरुष बंदियों के संपर्क में न आएं. महिला बंदियों को बुनियादी सुविधाएं और सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करते हुए उनकी लिंग आधारित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा.

(२) केंद्रीय बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में महिला बंदियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था चिकित्सालय में एक पृथक् महिला वार्ड बनाया जा सकेगा.

(३) विशिष्ट महिला बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था तथा महिला परिक्षेत्र/महिला वार्ड के मामले में, केवल महिला सुधारात्मक सेवा पदधारियों को ही तैनात किया जाएगा. पुरुष सुधारात्मक सेवा पदधारियों को ऐसे बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था या परिक्षेत्र के बाहर कर्तव्यों के लिए तैनात किया जा सकेगा और केवल किसी आपात स्थिति या बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध के मामले में, अधीक्षक या ड्यूटी पर मौजूद पदधारी द्वारा अंदर बुलाया जा सकेगा, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

गर्भवती महिला बंदी

३१. जब कोई महिला बंदी गर्भवती पाई जाती है, तो चिकित्सा अधिकारी या भारसाधक अधिकारी इस तथ्य की रिपोर्ट अधीक्षक को देगा. उसकी चिकित्सा देखभाल और आहार प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

महिला या पुरुष बंदी जिसके साथ बच्चे हैं.

३२. (१) महिला या पुरुष बंदी अपने बच्चों को बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अंदर तब तक रख सकेंगे, जब तक कि बच्चा छह वर्ष का न हो जाए.

(२) बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अपने माता या पिता के साथ रहने वाले बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी. जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

किसी बंदी के यौन उत्पीड़न या गुदा मैथुन की शिकायतों की जांच.

३३. किसी बंदी के यौन उत्पीड़न या गुदा मैथुन की कोई शिकायत या सूचना मिलने पर अधीक्षक बिना किसी विलम्ब के विधि के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा. अधीक्षक ऐसी घटना की रिपोर्ट संचालनालय प्रमुख को देगा, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

अध्याय-ग्यारह

ट्रांसजेंडर बंदी

ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था व्यवस्था.

३४. (१) ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में पृथक् बाड़े/वार्ड प्रदान किए जा सकेंगे, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(२) ट्रांसजेंडर बंदी को कोई विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएं प्रदान की जा सकेगी.

(३) ट्रांसजेंडर बंदी को सुधारात्मक सेवाएं प्रदान की जा सकेगी.

अध्याय-बारह

बंदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा

बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा सुरक्षा.

३५. (१) अधीक्षक, बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु उत्तरदायी होगा. ये उपाय यहीं तक सीमित नहीं होंगे किन्तु इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात् :-

सुरक्षित दीवारें, मजबूत द्वार, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था, बंदियों की केन्द्रीकृत निगरानी, वॉच टावर, बिजली की बाड़, निषिद्ध वस्तुओं पर नियंत्रण, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की प्रणाली, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन और अन्य उन्नत गैजेट और डिवाइस तथा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में निषिद्ध वस्तुओं तक पहुंच को रोका जाना.

(२) संचालनालय के प्रमुख को, किसी बंदी को राज्य की किसी अन्य बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(३) अधीक्षक के अनुरोध पर, स्थानीय पुलिस प्राधिकारी किसी बंदी को, अदालत तक ले जाने या अस्पताल ले जाने या अभिरक्षा में पैरोल देने के लिए और किसी भी बंदी की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक सेवा प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, जो एक विशेष जोखिम उत्पन्न करता है, इसमें बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से निकल भागना, दंगा करना, आगजनी करना या बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में कानून और व्यवस्था तथा अनुशासन को प्रभावित करने वाले किसी भी हिंसक साधन का सहारा लेना सम्मिलित है.

(४) बंदियों पर ऐसे अवरोध और बल प्रयोग की रीति को विनियमित किया जा सकेगा,जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

बंदियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन.

३६. किसी बंदी को, जब किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से या संस्था में, जिसमें उसे विधिक रूप से परिरूद्ध किया जा सके, ले जाया जा रहा हो या लाया जा रहा हो, या किसी न्यायालय में पेशी के लिए या चिकित्सा उपचार के लिए किसी अस्पताल में ले जाया जा रहा हो या जब भी वह बाहर काम कर रहा हो या अन्यथा ऐसी किसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की सीमा से परे हो विधिपूर्ण अभिरक्षा के अधीन या ऐसी बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से संबंधित सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों के नियंत्रण में है, या ऐसी ड्यूटी के लिए अभिनियोजन कोई अन्य पदधारी के नियंत्रण में होने पर उसका बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में होना माना जाएगा और वह समस्त निर्देशों और अनुशासन के अध्यधीन होगा मानो वह वास्तव में बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में था.

बंदियों से मुलाकात.

३७. (१) बंदी अपने आगंतुकों अर्थात् परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भौतिक या आभासी रूप (वर्चुअल मोड) माध्यम से, सुधारात्मक सेवा प्राधिकारियों की समुचित निगरानी में संवाद कर सकेंगे. बंदियों से मिलने वालों को बायोमेट्रिक सत्यापन/पहचान के माध्यम से सत्यापित/अभिप्रमाणित किया जाएगा.

(२) बंदी से मिलने आने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक पहचान अभिलेख में की जाएगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(३) विदेशी बंदी अपने परिवार के सदस्यों और दूतावास (कांसुलर) प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर सकेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(४) बंदी अपने विधिक सलाहकार से संवाद कर सकेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

सुधारात्मक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा आगंतुकों की तलाशी.

३८. (१) समस्त बंदियों से मिलने आने वाले आगंतुकों की तलाशी ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा कि नियमों में विहित किया जाए.

(२) यदि कोई आगंतुक अपनी तलाशी देने से इंकार करता है तो उसे बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

(३) महिलाओं, ट्रांसजेंडर या दिव्यांग व्यक्तियों की तलाशी के लिए समुचित उपबंध किए जा सकेंगे, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए।

(४) समस्त सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों की बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में प्रत्येक प्रवेश पर और बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से बाहर निकलने पर प्रत्येक बार तलाशी ली जाएगी.

अध्याय-तेरह
बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन.

३९ (१) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, अधीक्षक को आवश्यक प्राधिकार होगा और बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा.

(२) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं में अनुशासन का पालन करने की रीति ऐसी होगी, जैसी कि नियमों के अधीन विहित की जाए.

(३) प्रत्येक बंदी सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों के आदेशों एवं निदेशों का पालन करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करेगा और ऐसे अन्य निदेशों का अनुपालन करेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अपराधों तथा शास्तियों का प्रदर्शन.

४० अधीक्षक, बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अन्दर बन्दियों एवं सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों की जानकारी के लिए, इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्यों तथा उनके कारित किए जाने पर उपगत शक्तियों को उपवर्णित करते हुए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में एक सूचना किसी सहज दृष्य स्थान पर, प्रदर्शित कर सकेगा.

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अपराध.

४१ निम्नलिखित कृत्य या लोप, जब किसी बंदी द्वारा कारित किए जाएं या उनका लोप किया जाए तब बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध के रूप में घोषित किए गए हैं, अर्थात् :-

(१) **लघु अपराध :-**

(क) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के किसी नियम या विनियम की जानबूझकर अवज्ञा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(ख) जानबूझकर या लगातार अपमानजनक या धमकी पूर्ण भाषा का उपयोग;

(ग) अनैतिक या अशिष्ट या उच्छृंखल व्यवहार;

(घ) जानबूझकर श्रम करने से स्वयं को असमर्थ बना देना;

(ड.) काम करने से लगातार इंकार करना, यदि बंदी को कठोर कारावास से दंडित किया गया है;

(च) किसी ऐसे सिद्धदोष बंदी द्वारा, जिसे कठिन कारावास का दंड दिया गया है, काम पर जानबूझकर निष्क्रियता या उपेक्षा करना;

(छ) किसी ऐसे सिद्धदोष बंदी द्वारा, जिसे कठिन कारावास का दंड दिया गया है, जानबूझकर काम का कुप्रबंधन करना;

(ज) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना;

(झ) किसी सुधारात्मक संस्था पदधारी के विरूद्ध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना;

(ञ) पूर्वोक्त अपराधों में किसी अपराध को कारित करने के लिए सहायता करना या दुष्प्रेरण करना या सुकर बनाना :-

(२) **बड़े अपराध :-**

(क) आग लगने, किसी गुप्त योजना या षडयंत्र रचने, भाग निकलने के किसी प्रयत्न या निकल भागने की किसी बंदी या किसी अन्य व्यक्ति या सुधारात्मक सेवा पदधारी पर किसी हमले की तैयारी की, जानकारी होते ही यथाशीघ्र सूचना न देना या सूचना देने का लोप करना;

(ख) भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित किए गए अभिलेखों या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना या उन्हें विरूपित करना;

(ग) वायरलेस संचार उपकरण तथा/या उनके सहायक घटकों से भिन्न कोई भी प्रतिषिद्ध वस्तु प्राप्त करना, अपने पास रखना या स्थानांतरित करना;

(घ) भाग निकलने या भाग निकलने का प्रयत्न करना, भाग निकलने का षड़यंत्र रचना या भाग निकलने में सहायता करना;

(ङ) वायरलेस संचार उपकरण तथा/या उनके सहायक घटकों का अनाधिकृत उपयोग या कब्जे में रखना;

(च) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था परिसर में, जहां प्रवेश की अनुमति नहीं है, अतिचार करना या इधर उधर घूमना;

(छ) किसी व्यक्ति के साथ अनाधिकृत संर्पक;

(ज) सुधारात्मक सेवा के किसी पदधारी या किसी शासकीय कर्मचारी का प्रतिरूपण करना;

(झ) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में वायरलेस संचार उपकरण तथा/या उनके सहायक घटकों से भिन्न किसी प्रतिषिद्ध वस्तु की तस्करी करना या तस्करी करने का प्रयत्न करना या अपने कब्जे में रखना;

(ञ) सुधारात्मक सेवा के पदधारियों के विरूद्ध मिथ्या अभ्यावेदन करने के लिए सहबंदियों का अभित्रास;

(ट) हड़ताल करना या कोई अशांति उत्पन्न करना या उसे जारी रखना या सामूहिक भूख हड़ताल या अवज्ञा या अनुशासनहीनता का कोई अन्य कार्य करना या उसमें भागीदारी करना;

(ठ) यौन उत्पीड़न या गुदामैथुन;

(ड) असामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करना या उनका आयोजन करना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(ढ) किसी पर हमला करना या बल प्रयोग करना, बन्दियों के एक समूह द्वारा दूसरे पर हमला करना;

(ण) पूर्वोक्त अपराधों में किसी अपराध को कारित करने के लिए सहायता करना या दुष्प्रेरण करना या सुकर बनाना;

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराधों के लिए दंड.

४२ अधीक्षक जांच करने के पश्चात्, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए, धारा ४१ की उपधारा (१) या (२) में निर्दिष्ट बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराधों के संबंध में निम्नलिखित दंडों में से कोई भी दंड दे सकेगा, अर्थात् :-

लघु दंड- धारा ४१ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई भी लघु दंड निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या संयुक्त रूप से दिया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) औपचारिक चेतावनी, जिससे अभिप्रेत है, ऐसी चेतावनी जो अधीक्षक द्वारा-बंदी को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित की जाए और दंड पुस्तिका में तथा बंदी के वृत्त पत्रक में दर्ज की जाए;

(ख) विधिक परामर्शदाता के सिवाय समस्त आगंतुकों से मुलाकात को एक माह की कालावधि के लिए प्रतिबंधित करना;

(ग) एक कैलेण्डर माह में १० दिन से अनधिक की मजदूरी का समपहरण करना;

(घ) बंदियों को दिए गए विशेषाधिकारों पर एक बार में एक माह से अनधिक रोक लगाना जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

बड़े दंड :- धारा ४१ की उपधारा (२) के खण्ड (ङ) के सिवाय धारा ४१ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई बड़ा अपराध जिसके लिए दंड धारा ४६ के उपबंधों के अनुसार होगा. जो निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या संयुक्त रूप से दिया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) बंदियों को दिए गए विशेषाधिकारों पर एक बार में तीन माह से अनधिक रोक लगाना, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(ख) किसी अन्य बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में स्थानांतरण तथा परिणामस्वरूप विशेषाधिकारों की हानि, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए;

(ग) तीस दिन तक उपार्जित परिहार का समपहरण;

(घ) बंदी को पैरोल पर छोड़े जाने के लिए अगली पात्रता की तारीख से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पैरोल के विशेषाधिकारों का निलंबन.

(ङ) आमोद-प्रमोद, कैंटीन, बंदियों से मिलने वाले आगंतुक, मजदूरी, कार्य की प्रकृति के संबंध में, सुविधाओं को एक समय में एक माह से तीन माह तक के लिए रोकना या उनमें कमी करना;

(च) एक समय में तीन माह से अनधिक की कालावधि के लिए पृथक परिरोधः

परंतु एक माह से अधिक के पृथक परिरोध के दंड की पंद्रह दिन के अंतराल के बिना, पुनरावृत्ति नहीं होगीः

परंतु यह और कि किसी वृद्ध बंदी (६५+वर्ष) या महिला बंदी को पृथक् परिरोध में परिरूद्ध नहीं किया जाएगा.

अन्य विधियों के अधीन आने वाले अपराधों के लिए प्रक्रिया.

४३. ऐसे मामलों में अपराध, जो भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५) या अन्य किसी विधि के अधीन अपराध गठित करते हैं, उस विशेष विधि के उपबंधों के अधीन विचारण में लिया जाएगा.

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने पर प्रक्रिया.

४४. यदि कोई बंदी बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अनुशासन के विरूद्ध किसी ऐसे अपराध का दोषी है, जो कि उसके द्वारा ऐसा अपराध कई बार कारित के लिए जाने के कारण से या अन्यथा, अधीक्षक की राय में, किसी ऐसे दण्ड के अधिनिर्णय से पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है जो कि इस अधिनियम के अधीन देने की वह शक्ति रखता है वहां अधीक्षक परिस्थितियों के कथन के साथ अधिकारिता रखने वाले सक्षम मजिस्ट्रेट को ऐसे बंदी का मामला अग्रेषित करेगा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट बंदी के विरूद्ध लगाए गए आरोप की सुनवाई करेगा और सिद्धदोष पाए जाने पर उसे कारावास का दण्ड दे सकेगा, जो तीन वर्ष की कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा. ऐसी अवधि किसी भी अन्य अवधि के अतिरिक्त होगी, जिसे ऐसा बंदी पहले से ही भुगत चुका हो.

भाग निकलने या भाग निकलने के प्रयत्न के लिए दंड.

४५. यदि कोई बंदी बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था से जिसमें उसे विधिपूर्ण परिरूद्ध किया जाए, या न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ले जाया गया है, या अस्पताल जिसमें उसे भेजा गया है या वहां से लौटते समय या जब भी वह बाहर काम कर रहा हो या अन्यथा ऐसी किसी बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की सीमा से परे हो, निकल भागता है या निकल भागने का प्रयास करता है तो अधीक्षक द्वारा सूचना दिए जाने पर, पुलिस भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५) की धारा २६२ के अनुसार कार्रवाई करेगी और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का दायी होगा. इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा.

वायरलेस संचार उपकरणों और/या उनके सहायक अवयव पर कब्जा करने या उपयोग करने के लिए दण्ड.

(४६) (१) जो कोई भी, चाहे वह बंदी, आगंतुक या सुधारात्मक सेवा पदधारी हो, वायरलेस उपकरणों और /या उनके सहायक घटकों को रखने या उनका उपयोग करने के द्वारा या किसी बंदीगृह या सुधारात्मक संस्था से या किसी बन्दीगृह या सुधारात्मक संस्था में प्रविष्ट कराने या हटाने या ऐसा करने के प्रयत्न द्वारा या ऐसे यंत्रों को किसी बंदी को प्रदाय करने या प्रदाय करने के प्रयत्न द्वारा या किसी बंदी के साथ संचार करने या संचार करने के प्रयत्न द्वारा या बंदीगृह के उपकरण, इलेक्ट्रानिक रूप में हटकर क्षतिग्रस्त करता है या नष्ट करने के द्वारा अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या अन्यथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर दो वर्ष की न्यूनतम कालावधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, के साथ पांच लाख रूपए से अनधिक के जुर्माने का दायी होगा.

(२) बंदी को उपधारा (१) के अधीन अधिनिर्णित दण्ड, उस दण्ड के, यदि पूर्व से ही कोई दण्ड भुगत रहा हो, पूरा होने पर भुगतना होगा.

(३) उपधारा (१) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानतीय होंगे.

दण्ड पुस्तिका में प्रविष्टयां.

(४७) (१) नियमों के अधीन यथा विहित दंड पुस्तिका में दिए गए प्रत्येक दण्ड के संबंध में, बंदी का नाम, रजिस्ट्रर क्रमांक तथा वर्ग (चाहे आदतन अपराधी हो या नहीं) जिससे वह संबंधित है,बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था जिसके लिए वह दोषी था, वह तारीख जिसको ऐसा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध कारित किया गया था, बन्दी के विरूद्ध अभिलिखित पूर्व के बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध (यदि कोई हो) की संस्था और उसके अंतिम बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध की तारीख (यदि कोई हो) अपराध दिया गया दंड और उसकी तारीख, अभिलिखित किए जाएंगे.

(२) प्रत्येक बड़े बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध के लिए अपराध को सिद्ध करने वाले साक्षियों के नाम अभिलिखित किए जाएंगे और अधीक्षक साक्षियों के साक्ष्य का सार, बंदी की प्रतिरक्षा तथा उसके कारणों सहित निष्कर्ष अभिलिखित करेगा.

(३) उप-अधीक्षक एवं अधीक्षक, प्रत्येक दंड से संबंधित प्रविष्टियों के सामने, प्रविष्टियों की सत्यता साक्ष्य के रूप में अपने हस्ताक्षर करेंगे.

अध्याय-चौदह
दण्डादेश योजना

(४८) (१) बंदियों के उपचार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दण्डादेश योजना अधीक्षक द्वारा तैयार की जा सकेगी, जो बंदियों के पुनर्वासन एवं सामाजिक पुनःएकीकरण में सहायता करेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए. व्यक्तिगत दण्डादेश योजना.

(२) व्यक्तिगत दण्डादेश योजनाएं बंदियों की फाइलों में आवधिक आधार पर अद्यतन एवं अभिलिखित की जा सकेगी.

(४९) (१) प्रत्येक बंदी, को जिसमें विचारणाधीन बंदी या सिविल बंदी या साधारण कारावास से दण्डादिष्ट बंदी भी सम्मिलित हैं, अभिरक्षा के दौरान, काम का अवसर प्रदान किया जा सकेगा, यदि उपलब्ध हो, तथा ऐसी दर पर आनुपातिक मजदूरी का भुगतान किया जा सकेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए. कार्य योजना एवं मजदूरी.

(२) किसी भी बंदी द्वारा अर्जित एवं खर्च की गई मजदूरी का अभिलेख, आस्थगित मजदूरी की विशिष्टयां और उसके आनुषंगिक मामलों का अभिलेख अधीक्षक द्वारा संधारित किया जाएगा.

(३) सरकार राज्य में बंदियों के कल्याण के लिए एक योजना विरचित कर सकेगी जिसे बंदी कल्याण कोष कहा जा सकेगा.

अध्याय-पंद्रह
खुली सुधारात्मक संस्थाएं

(५०) (१) सरकार बंदियों के लिए उतनी खुली सुधारात्मक संस्थाएं स्थापित कर सकेगी और अनुरक्षण कर सकेगी जितनी कि आवश्यक हो. खुली सुधारात्मक संस्थाएं.

(२) सरकार ऐसी खुली सुधारात्मक संस्था में ऐसी सुविधाएं या रियायतें दे सकेगी जो बंदी को समाज में उसके पुनर्वास में मदद करें, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(३) खुली सुधारात्मक संस्थाओं के प्रशासन के नियम, जिनमें प्रक्रिया और उन बंदियों की पात्रता सम्मिलित है, जिन्हें ऐसी खुली सुधारात्मक संस्थाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, उन बंदियों से संव्यवहार की प्रक्रिया, जो किसी खुली सुधारात्मक संस्था में स्थानांतरण की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, ऐसी होगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

अध्याय-सोलह
बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की अवकाश, परिहार और समय पूर्व निर्मुक्ति

५१. (१) पात्र सिद्धदोष बंदियों को अच्छे व्यवहार और समाज में उनके पुनर्वास के उद्देश्य से सुधारात्मक उपचार के प्रति संवेदनशीलता के लिए प्रोत्साहन के रूप में बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अवकाश प्रदान कर सकेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए. पैरोल और फरलो.

(२) निम्नलिखित प्रकार के बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अवकाश हो सकेगें,

अर्थात् :-

(क) नियमित पैरोल;
(ख) आपातकालीन पैरोल;
(ग) फरलो.

(३) पात्र सिद्धदोष बन्दियों को परिरोध के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे उद्देश्यों के लिए नियमित पैरोल दी जा सकेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए. नियमित पैरोल पर व्यतीत की गई कालावधि एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं हो सकेगी और एक वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं दी जा सकेगी परंतु दो नियमित पैरोल दिए जाने के बीच कम से कम तीन माह की कालावधि होगी. नियमित पैरोल पर बिताई गई अवधि को दंडादेश के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा.

(४) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र सिद्धदोष बन्दियों को असामान्य या आकस्मिक परिस्थितियों में पुलिस सुरक्षा के अधीन अधिकतम ४८ घंटे तक की कालावधि के लिए आपातकालीन पैरोल दी जा सकेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए. इस पैरोल के अधीन बिताई गई अवधि को दंडादेश के भाग के रूप में गिना जाएगा.

(५) तीन वर्ष परिरोध की कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र दोषसिद्ध को एक कैलेंडर वर्ष में १४ दिनों से अनधिक की कालावधि के लिए फरलो दिया जा सकेगा. फरलो पर व्यतीत की गई कालावधि को दंडादेश के भाग के रूप में गिना जाएगा.

(६) केंद्र के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा शासित बंदियों के लिए, अवकाश का दिया जाना केंद्र के सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के अध्यधीन होगा.

(७) यदि पैरोल या फरलो पर गया कोई बंदी, अधीक्षक की सूचना पर नियत तारीख पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो पुलिस भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५) की धारा २६२ के अनुसार कार्यवाही करेगी.

बंदियों को परिहार. (५२) दण्डादेश भुगतते समय, किसी सिद्धदोष बंदी के समग्र अच्छे व्यवहार और आचरण के अध्यधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिहार दिया जा सकेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

समय पूर्व निर्मुक्ति. (५३) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बंदी को पुनर्वास और समाज में पुनर्एकीकरण किए जाने के सिद्धदोष उद्देश्य से समयपूर्व निर्मुक्ति की अनुमति दी जा सकेगी. सरकार किसी सिद्धदोष बंदी की समयपूर्व निर्मुक्ति के मामलों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए एक दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन कर सकेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

अध्याय-सत्रह
बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं का निरीक्षण

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं का निरीक्षण. ५४. (१) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के निरीक्षण के लिए द्विस्तरीय प्रणाली होगी.

(क) वरिष्ठ सुधारात्मक सेवा पदधारियों द्वारा संचालित निरीक्षण.-- संचालनालय प्रमुख, आवधिक अंतरालों पर जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए, समुचित रैंक के पदधारी द्वारा बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था का निरीक्षण करवा सकेगा;

(ख) आगंतुक बोर्ड द्वारा संचालित निरीक्षण.-- निरीक्षण करने के लिए, आगंतुकों के बोर्ड की अध्यक्षता, यथास्थिति, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकेगी और इसमें ऐसे अन्य पदधारी तथा गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(२) धारा ५४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निरीक्षण के पश्चात् संचालनालय प्रमुख को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

अध्याय-अठारह
विविध

विधिक सहायता.

५५. सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ३९) के उपबंधों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार या जैसा नियमों के अधीन विहित किया जाए, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान कर सकेगी.

प्रत्येक जिले के लिए विचारणाधीन बंदी पुनर्विलोकन समिति का गठन.

५६. (१) प्रत्येक जिले के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विचारणाधीन बंदी पुनर्विलोकन समिति होगी और ऐसे कृत्यों को क्रियांवित करने के लिए इसमें ऐसे अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

(२) समिति आवधिक बैठक करेगी और जिले के सभी बंदीगृहों एवं सुधारात्मक संस्थाओं में पात्र बंदियों के मामलों का पुनर्विलोकन करेगी और यथोचित अनुशंसाएं करेगी.

शिकायत निवारण तंत्र.

५७. बंदियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक उचित तंत्र होगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

सिविल और विचारणाधीन आपराधिक बंदियों को वस्त्र और बिस्तर की आपूर्ति.

५८. (१) प्रत्येक सिविल बंदी तथा विचारणाधीन आपराधिक बंदी जो स्वयं पर्याप्त वस्त्र और बिस्तर उपलब्ध कराने में असमर्थ है, अधीक्षक द्वारा यथा आवश्यक ऐसे वस्त्र और बिस्तर की आपूर्ति की जाएगी.

(२) जब किसी सिविल बंदी को किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में डिक्री के निष्पादन के लिए बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लिए सौंपा गया है, तो ऐसा व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को, उसके द्वारा लिखित में मांग की प्राप्ति के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर, अधीक्षक को बंदी को दिए गए वस्त्रों और बिस्तरों की कीमत का भुगतान करना होगा, और ऐसा भुगतान करने में व्यतिक्रम पर बंदी को निर्मुक्त किया जा सकेगा.

हड़ताल और आंदोलन का निषेध.

५९. किसी भी आगंतुक या सुधारात्मक सेवा पदधारी को बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के भीतर हड़ताल करने या कोई आंदोलन प्रारंभ करने या जारी रखने का अधिकार नहीं होगा.

आपातकाल.

६०. अधीक्षक, बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में त्वरित प्रतिक्रिया दल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपदा नियंत्रण अधिनियम, २००५ (२००५ का ५३) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के संगत किन्हीं अन्य उपबंधों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों या विनिर्देशों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी आपातकालीन स्थिति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, आवश्यक उपकरणों के क्रय करने तथा एक आकस्मिक कार्ययोजना तैयार करने सहित सभी समुचित उपाय करेगा, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था विकास बोर्ड.

६१. राज्य, बंदियों को बेहतर सुधारात्मक सेवाएँ प्रदान करने और सुधारात्मक सेवा पदधारियों के कल्याण के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था विकास बोर्ड की स्थापना कर सकेगा और ऐसे बोर्ड की संरचना उसके उत्तरदायित्वों और शासन की नीति के लिए नियम बना सकेगा.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

६२. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग और निर्वहन ऐसे पदधारियों द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि सरकार इस संबंध में पदाभिहित करे.

लेखा एवं संपरीक्षा.

६३. प्रत्येक बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लेखे ऐसी रीति से संधारित किए जाएंगे और लेखा-संपरीक्षित किए जाएंगे, जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाए.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

६४. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किन्हीं भी पदाधिकारियों के विरूद्ध संस्थित नहीं की जाएगी.

पुरस्कार और मान्यता.

६५. सरकार, सुधारात्मक सेवाओं के पद्धारियों की मात्रात्मक और गुणात्मक क्षमता के अनिवार्य स्तर को बनाए रखने के लिए, सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार, सम्मान और प्रशस्ति की एक प्रणाली विकसित करेगी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित किया जाए.

सरकार की नियम बनाने की शक्ति.

६६. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए, किन्तु उन तक सीमित न रहते हुए अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी, अर्थात् :-

(१) याचिका, वारंट या किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन उसे सौंपे गए बंदी की अभिरक्षा के संबंध में.

(२) बंदियों के बचाव तथा सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपायों के लिए उपबंध करना.

(३) बंदियों को आवास, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ और पर्याप्त पानी, प्रसाधन सामग्री, अन्य आवश्यकताएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना.

(४) बंदियों को पर्याप्त, लिंग-आधारित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना.

(५) बंदियों को विधि का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में उनके पुनर्वास करने के उद्देश्य से सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करना.

(६) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन बनाए रखना.

(७) समाज में बंदियों के पुनर्एकीकरण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पश्चातवर्ती देखरेख सेवा प्रदान करना.

(८) बंदियों को रखे जाने के लिए राज्य में पर्याप्त संख्या में बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाएं उपलब्ध कराना.

(९) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के संनिर्माण के स्वरूप और उसके स्थापत्य अभिविन्यास के संबंध में.

(१०) प्रत्येक बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लिए सुरक्षा के मानकों के लिए उपबंध करना.

(११) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए उपबंध करना.

(१२) विभिन्न श्रेणियों के बंदियों को पृथक्करण और पृथक आवास की सुविधा प्रदान करने और/या बंदियों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए उपबंध करना.

(१३) एक संस्थात्मक स्थापना के लिए उपबंध करना जिससे बंदियों, की आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार बंदियों की जनसंख्या तथा सुधारात्मक सेवाओं के पदधारियों के कार्यभार विनिश्चित किए जा सकेंगे.

(१४) संचालनालय प्रमुख की नियुक्ति के लिए उपबंध करना.

(१५) ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संचालनालय प्रमुख की सहायता के लिए यथाआवश्यक पदधारियों हेतु उपबंध करना.

(१६) प्रत्येक बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के लिए यथाआवश्यक सुधारात्मक सेवा पदधारियों हेतु उपबंध करना.

(१७) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उपबंध करना.

(१८) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के दैनिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए बंदियों की सेवाओं के उपयोग के संबंध में.

(१९) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के पदधारियों की योग्यता, भर्ती, नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए उपबंध करना.

(२०) बंदी से प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में अभिलेख, धन तथा अन्य वस्तुओं सहित सभी दस्तावेजों अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करना.

(२१) चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्यों एवं कृत्यों के संबंध में.

(२२) मानसिक रोगी बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थानांतरित करने के लिए उपबंध करना.

(२३) बंदियों की तलाशी के संबंध में.

(२४) विदेशी बंदियों के संबंध में.

(२५) बंदियों के वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन हेतु समिति के संबंध में.

(२६) सुधारात्मक सेवा पदधारियों के कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में.

(२७) महिला बंदियों के प्रबंधन के प्रशासन के संबंध में.

(२८) यौन उत्पीड़न या गुदा मैथुन की शिकायत के मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में.

(२९) बंदियों से मिलने आने वाले आंगतुकों के प्रशासन एवं प्रबंधन के संबंध में.

(३०) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अनुशासन लागू करने की रीति के लिए उपबंध करना.

(३१) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अपराधों और दंडादेश के संबंध में.

(३२) किसी बंदी के विद्रोह करने या निकल भागने के प्रयत्न की दशा में उसके विरुद्ध हथियारों के प्रयोग के संबंध में.

(३३) बंदियों के लिए दंडादेश योजना के लिए उपबंध करना.

(३४) बंदियों की कार्य योजना और मजदूरी के संबंध में.

(३५) खुली सुधारात्मक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के संबंध में.

(३६) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अवकाश, पैरोल और फरलो के संबंध में.

(३७) बंदियों को परिहार और समय पूर्व निर्मुक्ति के संबंध में.

(३८) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं के निरीक्षण के संबंध में.

(३९) बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था विकास बोर्ड की संरचना, उत्तरदायित्वों और प्रशासन की रीति के संबंध में.

(४०) सुधारात्मक सेवाओं के लिए पुरस्कार, मान्यता और प्रशस्ति के संबंध में.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(६७) (१) मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारगार अधिनियम, १८९४ (१८९४ का ९), बंदी अधिनियम, १९०० (१९०० का ३) और बंदी स्थानांतरण अधिनियम, १९५० (१९५० का २९) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

(२) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी धारा ६८ की उपधारा (१) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन बनाए गए और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त बंदीगृहों से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं सिवाय इसके कि जहां और जब तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत या प्रतिकूल हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा परिवर्तित, संशोधित या निरसित किए जाने तक, प्रवृत्त बने रहेंगे.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

(६८) (१) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे उपाय कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों.

(२) सरकार उपधारा (१) के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पश्चात्वर्ती किसी तारीख से प्रभावी होने का आदेश दे सकती है.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्र. 12276–149–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह अधिनियम, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 13 OF 2024
THE MADHYA PRADESH SUDHARATMAK SEVAYEN EVAM BANDIGRAH ADHINIYAM, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections:

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
FUNCTIONS OF PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION

3. Functions of Prison and Correctional Institution.

CHAPTER-III
PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION : ACCOMMODATION

4. Accommodation for Prisoners.
5. Prison and Correctional Institution: Architecture and Institutional Pattern.
6. Categories of Prisons and Correctional Institutions.
7. Temporary accommodation for prisoners.

CHAPTER-IV
ORGANISATIONAL SETUP

8. Directorate of Prisons and Correctional Services.
9. Head of Directorate.
10. Other Officials of Prison and Correctional Institution.
11. Recruitment and Training.

CHAPTER-V
DUTIES OF CORRECTIONAL SERVICES OFFICIALS

12. Functions and duties of Superintendent.
13. Medical Officer.
14. Duties of other prison officials.
15. Convict officials.
16. Exercise of powers of Superintendent in his absence.
17. Correctional services officials not to have business dealings with prisoners and interest in prison and correctional institution contract.
18. Officials welfare.

CHAPTER-VI
USE OF TECHNOLOGY IN PRISON AND
CORRECTIONAL INSTITUTION ADMINISTRATION

19. Use of technology in prison and correctional institution administration.

CHAPTER-VII
ADMISSION, TRANSFER AND DISCHARGE OF PRISONERS

20. Admission of prisoners.
21. Transfer of a prisoner to another State/Union Territory.
22. Transfer of prisoners with mental illness.
23. Prisoners to be searched and examined on admission, exit and re-entry.
24. Articles of prisoners.
25. Admission, transfer and repatriation of foreign prisoners.

CHAPTER-VIII
CLASSIFICATION OF PRISONERS

26. Composition of Classification and Security Assessment Committee.
27. Grounds of Classification and categories.

CHAPTER-IX
PROTECTION OF SOCIETY FROM CRIMINAL ACTIVITIES OF HIGH-RISK
PRISONERS AND HABITUAL OFFENDERS

28. Taking appropriate measures against criminal activities of prisoners.
29. Special provisions for security, intelligence gathering, surveillance and rotation of correctional Service Officials on duty.

CHAPTER-X
PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION REGIMEN FOR WOMEN PRISONERS

30. Separate accommodation for women prisoners.
31. Pregnant women prisoners.
32. Women or men prisoners with children.
33. Inquiry into complaints of sexual harassment or sodomy of a prisoners.

CHAPTER-XI
TRANSGENDER PRISONERS

34. Prison and Correctional Institution Regimen for Transgender Prisoners.

CHAPTER-XII
CUSTODY AND SECURITY OF PRISONERS

35. Safe custody and security of prisoners.
36. Extramural custody, control and employment of prisoners.
37. Visit to prisoner.

38. Search of visitors by the correctional Services Officials.

CHAPTER-XIII
DISCIPLINE IN PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION

39. Discipline in Prison and Correctional Institution.
40. Display of Prison and Correctional Institution offences and penalties.
41. Prison and correctional Institution offences.
42. Punishment for Prison and Correctional Institution offences.
43. Procedure for offences covered under other laws.
44. Procedure on repeated committal of a prison and correctional institution offence.
45. Punishment for escape or attempt to escape.
46. Punishment for possessing or using wireless communication devices and/or their ancillary component.
47. Entries in punishment book.

CHAPTER-XIV
SENTENCE PLANNING

48. Individual Sentence Planning.
49. Work programme and wages.

CHAPTER-XV
OPEN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

50. Open Correctional Institutions.

CHAPTER-XVI
PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION LEAVE,
REMISSION AND PRE-MATURE RELEASE

51. Parole and Furlough.
52. Remission to prisoners.
53. Pre-mature relesae.

CHAPTER-XVII
INSPECTION OF PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS

54. Inspection of Prison and Correctional Institutions.

CHAPTER-XVIII
MISCELLANEOUS

55. Legal Aid.
56. Constitution of Under Trial Review Committee for every district.
57. Grievance Redressal Mechanism.
58. Supply of clothing and bedding to civil and under trial criminal prisoners.
59. Prohibition of strike and agitation.
60. Emergency.

61. Prison and correctional Institution Development Board.
62. Delegation of Powers.
63. Accounts and Audits.
64. Protection of action taken in good faith.
65. Reward and Recognition.
66. Power to make rules.
67. Repeal and Saving.
68. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 13 OF 2024
THE MADHYA PRADESH SUDHARATMAK SEVAYEN EVAM BANDIGRAH ADHINIYAM , 2024

[Received the assent of the Governor on the 6th August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th August, 2024.]

An Act, to provide safe custody, reformation, rehabilitation and correction of prisoners as law abiding citizens and also for the management of prisons and correctional services in the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith or incidental threreto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy fifth year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short Title, extent and commencement.– (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sudharatmak Sevayen Evam Bandigrah Adhiniyam, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may publish by notification in the Official Gazette.

2. Definitions.– In this Act, unless the context otherwise requires,- (1)"After care service" means a service or activity aimed at the rehabilitation of the released prisoner for enabling him to lead Life as a dutiful citizen;

(2) "civil prisoner" means any prisoner who is not a criminal prisoner;

(3) "Competent Authority" means the Competent Authority as declared by the Government;

(4) "Convict" means any prisoner under sentence of a Court exercising criminal jurisdiction or Court martial;

(5) "Correctional Services" means any service or programme aimed at the reformation and rehabilitation of an inmate and includes services related to the execution of sentence awarded, assessment, supervision, treatment, training, control and custody of an inmate;

(6) "Correctional Services Official" means an employee appointed by the Government or the Directorate to exercise powers or perform duties or functions related to the administration of this Act or as may be assigned by the Government;

(7) "Court" includes any officer lawfully exercising civil, criminal or revenue jurisdiction;

(8) "Criminal Prisoner" means any prisoner duly committed to custody under the writ, warrant, order of any Court or auttrority exercising criminal jurisdiction, or by order of a Court martial and who is not a detenue;

(9) "Detenue" means any person detained in prison and correctional institution on the orders of a Competent Authority under any law providing for preventive detention;

(10) "Directorate" means the Directorate of Prisons and Correctional Services of the State;

(11) "Family" means spouse, children, siblings, parents, grandparents, grandchildren and in the context of transgender inmates, people related through socio-religious family system;

(12) "Foreign Prisoner" means any prisoner who is not a citizen of India;

(13) "Furlough" means short leave granted to a convict, after undergoing a prescribed period of sentence, as an incentive for maintaining good conduct in prison and correctional institution;

(14) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(15) "Habitual Offender" means prisoners who are sent to prison and correctional institution repeatedly for crimes;

(16) "Head of Directorate" means an officer appointed by the Government as Head of the Directorate;

(17) "High Risk Prisoner" means a prisoner with high propensity towards violence, escape, self-harrn, disorderly behavior, likely to create unrest in the prison and correctional institution and a threat to public order and includes those engaged in organized crime and terrorist activities;

(18) "High Security Prison" means an independent self-sufficient prison complex with dynamic and strengthened security systems with provision for an independent Court complex to house high risk prisoner, which may be part of any prison and correctional institution;

(19) "History Ticket" means the ticket either in physical or electronic form, exhibiting all relevant information in respect of a prisoner;

(20) "Inmate" means any person lawfuly confined in a prison and correctional institution;

(21) "Institution for Young Offenders" means a prison and correctional institution for young prisoners established to ensure their care, welfare and rehabilitation, to provide an environment of education and training conducive to their reformation;

(22) "Medical Officer" in relation to prison and correctional institution means a qualified Government medical practitioner deputed as a medical officer of prison and correctional institution;

(23) "Medical Subordinate Staff" means a qualified Medical Assistant deputed as such in prison and correctional institution;

(24) "Open Correctional Institution" means a place for confinement of eligible prisoners on such conditions, as may be prescribed under the rules;

(25) "Parole" means temporary release of a convict for a short period of time for attending to familial and social obligations;

(26) "Prison and Correctional Institution" means any place used permanently or temporarily under general or special orders of the Government for providing correctional services to prisoners and includes all lands and buildings appurtenant thereto, but does not include.–

(a) any place for the confinement of prisoners who are exclusively in the custody of the police;

(b) any place specially appointed by the Government under section 457 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023);

(c) any place which has been declared by the Government by a general or special order to be a subsidiary jall;

(27) "Prisoner" means a person committed to custody in a prison and correctional institution under the writ, warrant, order or sentence of a Court or a Competent Authority and includes convicted prisoner, civil prisoner, criminal prisoner, under-trial prisoner, prisoner to be kept in prison and correctional institution custody under the orders of a Competent Authority and a detenue;

(28) "Prohibited Article" means any item that presents a threat to the safety or security of the prisoners, prison and correctional services official, prison and correctional institution or any object, substance or material forbidden by the prison and correctional institution or the Government from being in a prisoner's possession that can be used as a weapon or any article, the introduction or removal of which into or out of a prison and correctional institution is prohibited by this Act or by the rules framed thereunder or by any other law or by any notification of the Government;

(29) "Recidivist" means any prisoner who is convicted for a crime more than once;

(30) "Remission" means a concession granted to an eligible convicted prisoner by the competent Authority with the prospect of early release from prison and correctional institution by shortening of sentence, as may be prescribed under the rules;

(31) "Rules" means the rules made under this Act;

(32) "State" means the State of Madhya pradesh;

(33) "Superintendent" means a correctional services official appointed by the Government to perform the functions provided in the Act, as may be prescribed under the rules;

(34) "Under Trial Prisoner" means a person who is not serving any sentence as a convict and has been committed to judicial custody, pending investigation or trial;

(35) "Wireless Communication Device" means a device used for wrireless communication or any other device notified by the Competent Authority;

(36) "Young Offender" means a prisoner who has attained the age of 18 years and has not attained the age of 21 years.

CHAPTER-II

FUNCTIONS OF PRISON AND CORRECTIONAI, INSTITUTION

3. **Functions of Prison and Correctional Institution.-** The functions of the prison and correctional institution shall be as follows, namely:-

(a) to keep in custody, a prisoner committed to it under any writ, warrant or by the order of any Court or any other Competent Authority, as may be prescribed under the rules;

(b) to take suitable measures for the safety and security of prisoners, as may be prescribed under the rules;

(c) to provide the prisoners with accommodation, food, clothing, clean and sufficient water, toiletries, other necessities and medical services, as may be prescribed under the rules;

(d) to provide the prisoners access to adequate, gender-responsive physical and mental health care facilities, as may be prescribed under the rules;

(e) to provide correctional services to the prisoners with the objective of rehabilitating them in the society as law abiding citizens, as may be prescribed under the rules;

(f) to maintain discipline in the prison and correctional institution in accordance with the provisions of this Act, as may be prescribed under the rules;

(g) to provide after care service with a view to ensure prisoners reintegration and rehabilitation in the society, as may be prescribed under the rules.

CHAPTER-III

PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION: ACCOMMODATION

4. Accommodation for prisoners.- The Government shall provide sufficient number of prisons and correctional institutions in the State for accommodating the prisoners wich may be constructed and maintained in such a manner, so as to comply with the requirements of this Act, as may be prescribed under the rules.

5. Prison and Correctional Institution: Architecture and Institutional Pattern.-(1) The pattern of construction of a prison and correctional institution, ground space, air space, ventilation of cells, barracks, bathing places, kitchen, work-sheds and hospitals shall conform to such standards and requirements, as may be prescribed under the rules.

(2) The standards of security for each prison and correctional institution shall be such as may be prescribed under the rules.

(3) Prison and Correctional Institution may be designed in such a manner so as to facilitate segregation and separate lodging of various categories of prisoners and/or for attending to special needs of prisoner, as may be prescribed under the rules.

(4) The setup of prison and correctional institution may include accommodation and other facilities for the correctional services officials as per functional requirement.

(5) Wherever there is no provision of a stand-alone high security prison, high risk prisoners and habitual offenders shall be segregated and lodged in separate barracks or cells of the prison and correctional institution, which shall have a provision of keeping them away from mingling with other inmates, as may be prescribed under the rules.

(6) Such separate accommodation as referred to in sub-section (5) shall have appropriate advanced architecture, design and institutional pattern, as may be prescribed under the rules.

6. Categories of Prisons and Correctional Institutions.- (1) The Government may establish various categories of Prisons and Correctional Institutions which are as follows, namely:-

(a) Central Prison and Correctional Institution;

(b) District Prison and Correctional Institution;

(c) Sub-Prison and Correctional Institution;

(d) Open Correctional Institution;

(e) Prison and Correctional Institution exclusively for women prisoners;

(f) Correctional Institution for young offenders.

(2) The Government may determine the number of prisons and correctional institutions of any category and the place at which these may be established.

(3) Each Central Prison and Correctional Institution/District Prison and Correctional Institution shall have provision for a separate ward for highrisk prisoners/recidivists/ habitual offenders, where they may be lodged separately in cells without the scope of mingling with other inmates so as to protect other prisoners from their negative influence and radicalized thought process.

(4) Appropriate and advanced security infrastructure and procedures shall be in place for high-risk prisoners ward in all Central/District Prison and Correctional Institutions. Such Central Prison and Correctional Institution may also have appropriate provisions for an independent Court complex for holding Court hearings.

7. Temporary accommodation for prisoners.- Whenever it appears to the Government that,-

(a) the number of prisoners in a prison and correctional institution is greater than that can conveniently or safely be kept therein, and it is not expedient to transfer the excess number to any other prison and correctional institution; or

(b) due to the outbreak of any disease in any prison and correctional institution, or for any other reason, it is desirable to provide for temporary shelter and for the safe custody of prisoners;

appropriate provisions for temporary prison and correctional institution may be made in such a manner, as the Government may direct, from time to time.

CHAPTER-IV

ORGANISATIONAL SETUP

8. **Directorate of Prisons and Correctional Services.-** (1) There shall be a Directorate of Prisons and Correctional Services in the State, which shall be responsible for implementing the correctional services policies laid down by the Government and shall plan, organize, direct, coordinate and control all prisons and correctional institutions and matters connected therewith and incidental thereto. The Directorate shall consist of such number of officials, as may be prescribed by the Government, from time to time.

(2) The institutional set-up may be decided in accordance with the need and requirement of prisoners, the inmate population, workload of correctional services officials, as may be prescribed under the rules.

9. **Head of Directorate.-** (1) For the administration of correctional services the Government shall appoint the Head of Directorate of appropriate rank, subject to the provisions of the Act, as may be prescribed under the rules.

(2) The Head of Directorate shall exercise powers and perform duties under this Act and other officials of correctional services shall work under the general superintendence, control and direction of the Head of Directorate.

(3) The Head of Directorate shall exercise such administrative, financial and disciplinary powers, as may be exercised by the Head of Department and such other powers, specifically conferred upon him by the Government, from time to time.

10. **Other Officials of Prison and Correctional Institution.-** (1) The Government may appoint as many officials as may be necessary to assist the Head of Directorate for performing such duties, subject to the provisions of the Act, as may be prescribed under the rules.

(2) For every prison and correctional institution, there shall be a Superintendent and other officials, as may be prescribed under the rules.

(3) The general administrative control and management of a prison and correctional institution shall vest with the Superintendent and under his directions other officials shall perform such duties and functions, as may be prescribed under the rules.

(4) The Superintendent may utilize the services of prisoners for the day-to-day administration and management of the prison and correctional institution, as may be prescribed under the rules.

11. **Recruitment and Training.-** (1) The qualifications, recruitment, appointment and training of officials of the prison and correctional institution shall be as per the rules;

(2) Salaries and other benefits of officials shall be as prescribed by Government, from time to time;

(3) All officials in the correctional services department shall be provided with basic induction training and periodic in-service training to enable them to perform their duties efficiently and professionally.

CHAPTER-V

DUTIES OF CORRECTIONAL SERVICES OFFICIALS

12. **Functions and duties of superintendent.-** (l)(a) Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder or under orders and directions of the Head of Directorate, the Superintendent shall manage the prison and correctional institution in all matters including admission of prisoners, security of the prison and correctional institution, correctional services, allowing visitors inside the prison and correctional institution, expenditure, discipline, punishment and control, release and rehabilitation of prisoners with the aid and assistance of other subordinate officials.

(b) Subject to such general or special directions as may be given by the Government, the Superintendent other than that of Central Prison and Correctional Institution shall obey all orders not inconsistent with this Act or any rule thereunder which may be given in respect of the prison and correctional institution by the District Magistrate and shall report to the Head of Directorate, all such order(s) and the action taken thereon.

(2) The Superintendent shall be responsible for the proper upkeep of the prison and correctional institution and all equipment and machinery of the prison and correctional institution under his charge.

(3) The Superintendent shall be responsible for the safe custody of all documents/records, including records in electronic format, in his care and for the money and other articles taken from prisoner and perform such other duties and discharge such other functions, as may be prescribed under the rules.

(4) The Superintendent may, if in his opinion a prisoner requires special treatment in a hospital outside the prison and correctional institution, send him or cause him to be sent to such hospital.

13. **Medical Officer.-** (1) **Medical Officer.-** There shall be a medical officer for every prison and correctional institution. If the post of medical officer is vacant, the medical officer or the Doctor Incharge of the Government Hospital shall act as the medical officer of the prison and correctional institution.

(2) **Medical Officer to report in certain cases.-** Whenever the medical officer has reason to believe that the mind of a prisoner is, or is likely to be injuriously affected by the discipline or treatment to which he is subjected, the medical officer shall report the details of the case in writing to the Superintendent, as may be prescribed under the rules. This report, with the orders of the Superintendent thereon, shall forthwith be sent to the Head of Directorate for necessary action.

(3) **Report on the death of a prisoner.-** On the death of any prisoner, the medical officer shall immediately record all the relevant details of the case and report to the Superintendent. The Superintendent shall forthwith send a detailed report with such observations, as he may think proper, to the Principal District and Session Judge, Head of Directorate, District Magistrate, Human Rights Commission and the Court concerned, if any, as may be prescribed under the rules.

(4) **Record of direction of Medical Officers.-** All directions given by the medical officer or medical subordinate in relation to any prisoner, with the exception of order for the supply of medicines or directions relating to such matters as are carried into effect by the medical officer himself or under his superintendence, shall be entered day by day in the prisoner's health book or in such other record, as may be prescribed under the rules.

14. **Duties of other prison officials.-** All other correctional services officials subordinate to the Superintendent shall perform and discharge such duties, as may be assigned to them by the Superintendent or based on the functions and responsibilities assigned for various categories of correctional services officials, as may be prescribed under the rules.

15. **Convict Officials.-** Prisoners who have been appointed as officials of prison and correctional institution shall be deemed to be public servants within the meaning of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

16. **Exercise of powers of Superintendent in his absence.-** All or any of the powers and duties of the Superintendent, may in his absence be exercised and performed by such other official, as the Competent Authonty/Head of the Directorate may prescribe either by name or by official designation.

17. **Correctional services officials not to have business dealings with prisoners and interest in prison and correctional institution contracts.-** No correctional services official shall have any business dealings with any prisoner or any relative or friend of a prisoner, directly or indirectly, nor shall he have any business dealings with any prison and correctional institution or have any interest, direct or indirect, in any contract for supply of provisions or any other article to the prison and correctional institution, nor shall he derive any benefit, directly or indirectly, from the sale or purchase of any such provisions or articles.

18. **Officials welfare.-** The Head of Directorate may establish an official welfare wing to aid and advice the Government in the implementation of welfare measures for correctional services officials.

CHAPTER-VI
USE OF TECHNOLOGY IN PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION ADMINISTRATION

19. **Use of technology in prison and correctional institution administration.-** (1) The Government shall endeavour to integrate and embed appropriate technology for the effective management, superintendence of prison and correctional institution and for the safety and security of inmates.

(2) The Government shall computerize the prison and correctional institution administration and integrate the database with the Central Government's computerized system for prison and correctional institution management. The Government shall also develop suitable interfaces for seamless sharing of information with the Central Government's computerized system.

(3) The Government shall use state of the art technological interventions to detect and prohibit use of unauthorized wireless communication devices and other electronic devices in prison and correctional institution.

CHAPTER-VII
ADMISSION, TRANSFER AND DISCHARGE OF PRISONERS

20. **Admission of prisoners.-** (1) The Superintendent shall receive and detain a person duly committed to his custody, under this Act or otherwise, by any Court or any Competent Authority, according to the exigency of any writ, warrant or order by which such person has been committed to the prison and correctional institution, until such person is discharged or removed in due course of law.

(2) The Superintendent shall, after the execution of such writ, warrant or order or after discharge of the person committed thereby, return the same to the Court by which it was issued, with a duly signed certificate, showing how the same has been executed or why the person committed thereby has been discharged from custody before execution thereof.

(3) The Superintendent shall give effect to any sentence or order or warrant for the detention of any person, passed or issued by any Court or Competent Authority, under the provisions of any law, for the time being in force.

(4) Where Superintendent has a doubt on the legality of a warrant or order sent to him for execution, he shall refer the matter to the concerning Court or Competent Authority for confirmation.

(5) Pending a reference made under sub-section (4) the prisoner shall be detained in such a manner and with such restrictions or mitigations, as may be specified in the warrant or order.

(6) No person shall be admitted into a prison and correctional institution for detention otherwise than under the production of a lawful warrant or under any order of commitment addressed to the Superintendent by a Court or any other Competent Authority.

21. **Transfer of a prisoner to another State /Union Territory.-** (1) Where any person is confined in a prison and correctional institution of the State under a sentence of imprisonment or under

sentence of death or in default of payment of a fine or in default of giving security for keeping peace or for maintaining good behaviour, the Government may with the mutual consent of the Government of any other State, by order, provide for the transfer of the prisoner from that prison and correctional institution to any prison in the other State.

(2) The transfer of any under-trial prisoner in the State to another State/Union Territory shall be done with the consent of the Trial Court.

22. **Transfer of prisoners with mental illness.-** The Government/Competent Authority may, by a general or special order, direct the transfer of any prisoner with mental illness from the place of detention to any mental health establishment in the State with prior permission of the Board mentioned in Section 103 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), as may be prescribed under the rules.

23. **Prisoners to be searched and examined on admission, exit and re-entry.-** (1) Whenever a prisoner is admitted into a prison and correctional institution, he shall be searched, and all cash, jewellery, weapons and prohibited articles or any other article which a prisoner cannot retain with him shall be taken and retained in safe custody of the Superintendent or an official authorized by him:

Provided that a woman prisoner or a transgender prisoner shall be searched in an appropriate manner, as may be prescribed under the rules.

(2) Every inmate received in a prison and correctional institution shall undergo such physical and biometric identification measurements in accordance with the provisions of the Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 (11 of 2022) or any other law in force.

(3) Every such prisoner shall be examined, on the same day or not later than 24 hours, by the medical officer, who shall enter in a record, the health status of the prisoner, including any illness, present or past.

(4) Every prisoner who leaves a prison and correctional institution or re-enters a prison and correctional institution shall also undergo search, physical and biometric identification upon each such exit from or entry into prison and correctional institution.

(5) Any prisoner shall be liable to be searched at any time for detection of any prohibited article.

24. **Articles of prisoners.-** All valuable articles of a prisoner, in respect whereof no order of a Competent Court has been made and which under the rules may be brought into a prison and correctional institution by any prisoner or sent to the prison and correctional institution for the inmate's use, shall be placed in the custody of the official authorized by the Superintendent in this behalf.

25. **Admission, transfer and repatriation of foreign prisoners.-**The information of admission of a foreign prisoner in a prison and correctional institution shall be sent forthwith to the Head of Directorate and forwarded to the Ministry of External Affairs, Government of India or any other agency, as may be specified by the Central Government, as may be prescribed under the rules.

CHAPTER-VIII
CLASSIFICATION OF PRISONERS

26. **Composition of Classification and Security Assessment Committee.-** A committee may be constituted for classification and security assessment of prisoners, comprising officials of correctional services and other officials, as may be prescribed under the rules.

27. **Grounds of classification and categories.-** (1) The classification and security assessment committee may classify the prisoners admitted into a prison and correctional institution according to their age, gender, length of sentence, safety and security requirements, physical and mental health needs and correctional needs, as may be prescribed under the rules.

(2) The prisoners may be classified under the following categories, namely:-

(a) civil prisoners;
(b) criminal prisoners;
(c) detenue.

(3) The prisoners classified in sub-section (2) may be further classified under the following sub-categories, namely:-

(a) convict prisoners;
(b) under-trial prisoners;
(c) drug addicts and alcoholic offenders;
(d) first time offenders;
(e) foreign prisoners;
(f) habitual offenders;
(g) high risk prisoners;
(h) old and infirm prisoners (65+ years);
(i) prisoners sentenced to death;
(j) prisoners suffering from mental illness;
(k) prisoners suffering from infectious/chronic diseases;
(l) recidivist;
(m) women prisoners;
(n) women prisoners with children;
(o) men prisoners with children;
(p) young offenders.

(4) The under trial prisoner, convict prisoner, civil prisoner, detenue and recidivist may be lodged in separate barracks/enclosure/ cells.

(5) The prisoners may be segregated gender-wise male, female and transgender and lodged separately.

(6) High risk prisoners shall be accommodated in special cells and/or high security prisons with a view to protect other prisoners from negative influence and radicalized thought process.

(7) The Superintendent shall take special care and caution for ensuring safe and secure custody of high risk prisoners, as may be specified by the Government in its behalf.

CHAPTER-IX

PROTECTION OF SOCIETY FROM CRIMINAL ACTIVITIES OF HIGH RISK PRISONERS AND HABITUAL OFFENDERS

28. **Taking appropriate measures against criminal activities of prisoners.-** (1) It shall be the responsibility of the Directorate and the Police Department of the State to take all appropriate measures for protecting the society from the criminal activities of high risk prisoners and habitual offenders.

(2) Based on the details of the crime committed by the inmate, available background record and history ticket, inmates shall be suitably classified, assessed for their propensity and potential to negatively influence other inmates and be housed in separate barracks/cells, as may be prescribed under the rules.

(3) With a view to protect the society and the victims, high risk prisoners and habitual offenders shall not be entitled for parole, furlough or any kind of prison and correctional institution leave in the normal course.

29. **Special provisions for security, intelligence gathering, surveillance and rotation of correctional services officials on duty.-** (1) The Superintendent shall ensure special watch and surveillance on those inmates who are prone to indulge in gang activities and intimidating witnesses.

(2) For ensuring dynamic security, preventing escapes, instances of disorder and criminal activity in prison and correctional institution, appropriate provision for intelligence gathering from prisoners, careful observation and monitoring of prisoners and analysis of the relevant information shall be. done by the Superintendent in co-ordination with various intelligence agencies.

(3) The Superintendent shall ensure strong and effective measures for frisking, periodic search and detection of contrabands, mobile phones in the cells and barracks of high risk prisoners and deploy advanced jamming solutions in such areas including conduct of frequent surprise checks.

(4) The Superintendent shall ensure rotation of Correctional Services Officials deployed in barracks and cells, at periodic interval, as may be prescribed under the rules.

(5) The release of any inmate either on completion of sentence or otherwise shall be informed to the Superintendent of Police of the concerned district, who shall keep a watch on the activities of such prisoners.

(6) The District Administration shall fully secure the movement of the prisoner in course of movement to and from the Court for judicial proceeding or the hospital for medical treatment or any other place, as per writ, warrant or order of the Competent Authority, as the case may be.

(7) The Police Department shall provide the criminal history of the prisoner within a reasonable period of time, as may be prescribed under the rules, if so desired by the Superintendent.

(8) In case a prisoner requires special watch or care, the Police Department shall share such requirement along with prisoner's criminal history with the Superintendent.

CHAPTER-X
PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION REGIMEN FOR WOMEN PRISONERS

30. **Separate accommodation for women prisoners.-** (1) The Government may establish such number of exclusive prisons and correctional institutions for women prisoners as, it may consider necessary. To accommodate women prisoners, in a prison and correctional institution housing both women and men prisoners shall be kept in a separate building or a separate part of the same building with a separate entrance, in such a manner that they do not come into contact with men prisoners. While providing for basic facilities and correctional services to women prisoners their gender specific needs shall be met.

(2) In Central Prison and Correctional Institution, a separate female ward in the prison and correctional institution hospital may be created for women prisoners.

(3) In case of exclusive women prison and correctional institution and women enclosure/female ward, only women correctional services officials shall be deployed. Male correctional services officials can be deployed for duties outside such prison and correctional institution or enclosure and can be called inside by the Superintendent or the official on duty, only in case of any emergency or prison and correctional institution offence, as may be prescribed under the rules.

31. **Pregnant Women prisoners.-** When a women prisoner is found to be pregnant, the medical officer or officer-in-charge shall report the fact to the Superintendent. Necessary arrangements shall be made for providing her medical care and diet, as may be prescribed under the rules.

32. **Women or men prisoners with children.-**(1) Women or Men prisoners may keep their children inside the prison and correctional institution until the child attains the age of six years.

(2) A child living with his mother or father in prison and correctional institution may be provided with health-care and such other facilities, as may be prescribed under the rules.

33. **Inquiry into complaints of sexual harassment or sodomy of a prisoner.-** The Superintendent shall act upon as per the provisions of law, on receiving any complaint or any information of sexual harassment or sodomy of a prisoner, without any delay. The Superintendent shall report such incident to the Head of Directorate, as may be prescribed under the rules.

CHAPTER-XI
TRANSGENDER PRISONERS

34. **Prison and Correctional Institution Regimen for Transgender prisoners.-**(1) Separate enclosures/wards in prison and correctional institution for transgender prisoner, may be provided, as may be prescribed under the rules.

(2) Transgender prisoner may be provided access to any specific health-care needs.

(3) Transgender prisoner may be provided access to correctional services.

CHAPTER-XII
CUSTODY AND SECURITY OF PRISONERS

35. **Safe custody and security of prisoners.-** (1) The Superintendent shall be responsible to undertake effective measures for ensuring safe custody and security of prisoners. These measures may not be limited to but may include the following, namely:-

Secure walls, strong gates, good lighting system, central point monitoring of prisoners, watch towers, power fencing, control of prohibited articles, system for gathering intelligence, closed circuit television and other advanced gadgets and devices for guarding purposes and preventing access to prohibited articles in prison and correctional institution.

(2) The Head of Directorate shall be empowered to transfer a prisoner to any other prison and correctional institution in the State, as may be prescribed under the rules.

(3) On the request of the Superintendent, the local police authorities shall provide necessary assistance to the correctional services authorities, for escorting a prisoner to a Court or for visit to hospital or parole with custody and for ensuring the safe custody of any prisoner who poses a special risk, including escape from prison and correctional institution, rioting, arson or resorting to any violent means affecting the law and order and discipline in the prison and correctional institution.

(4) The manner of use of restraint and force on prisoners may be regulated, as may be prescribed under the rules.

36. **Extramural custody, control and employment of prisoners.-** A prisoner, when being taken to or from any prison and correctional institution, in which he may be lawfully confined or to a Court for production or to a hospital for medical treatment or whenever he is working outside or is otherwise beyond the limits of any such prison and correctional institution in or under the lawful custody or control of correctional services official belonging to such prison and correctional institution or any other official deployed for such duty shall be deemed to be in prison and correctional institution and shall be subject to all directions and discipline, as if he were actually in prison and correctional institution.

37. **Visit to prisoners.-** (1) Prisoners may communicate with their visitors, namely family members; relatives and friends through physical or virtual mode, under proper supervision of correctional services authorities. Visitors to inmates shall be verified/authenticated through biometric verification/identification.

(2) The name, address, photograph and biometric identification of each visitor to the prisoner shall be entered into record, as may be prescribed under the rules.

(3) Foreign prisoner may communicate with his family members and consular representatives, as prescribed under the rules.

(4) Prisoner may communicate with his legal counsel, as prescribed under the rules.

38. **Search of visitors by the correctional services officials.-** (1) All visitors to prisoners shall be searched in a manner as prescribed under the rules.

(2) In case any visitor refuses to get himself searched, he shall be denied admission to the prison and correctional institution and such decision shall be entered into record.

(3) Appropriate provisions for search of visitors who are women, transgender or persons with disabilities may be made, as prescribed under the rules.

(4) All correctional services officials shall be searched, upon each entry to the prison and correctional institution and each exit from the prison and correctional institution.

CHAPTER-XIII
DISCIPLINE IN PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION

39. **Discipline in Prison and Correctional Institution.-** (1) The Superintendent shall have the necessary authority and shall be responsible for maintaining discipline in the prison and correctional institution, in accordance with the provisions of the Act or rules made thereunder.

(2) The manner of enforcing discipline in the prison and correctional institutions shall be such, as may be prescribed under the rules.

(3) Every prisoner shall obey the orders and instructions of correctional services officials and abide by the provisions of this Act and comply with such other directions as may be prescribed under the rules.

40. **Display of Prison and Correctional Institution offences and penalties.-** The Superintendent may cause to be affixed, at a conspicuous place inside the prison and correctional institution, a notice in Hindi or English language, setting forth the acts prohibited under this Act and the penalties incurred by their commission for the information of the prisoners and correctional services officials.

41. **Prison and Correctional Institution offences.-** The following acts and omissions are declared as prison and correctional institution offences, when committed or omitted by prisoner, namely:-

(1) **Minor offences.-**

(a) willful disobedience of any rule or regulation of the prison and correctional institution, as may be prescribed under the rules;

(b) deliberate or persistent use of insulting or threatening language;

(c) immoral or indecent or disorderly behaviour;

(d) willfully disabling himself from labour;

(e) continuously refusing to work, if the prisoner has been punished with rigorous imprisonment;

(f) willful idleness or negligence at work by any convict prisoner sentenced to rigorous imprisonment;

(g) willful mismanagement of work by any convict prisoner sentenced to rigorous imprisonment;

(h) willful damage to prison and correctional institution property;

(i) willfully making a false accusation against any correctional services official;

(j) Aiding or abetting or facilitating the commission of any of the aforesaid offences.

(2) **Major offences.-**

(a) omitting or refusing to report, as soon as it comes to his knowledge, the occurrence of any fire, any plot or conspiracy, any attempt to escape or preparation to escape or attack on any prisoner or any other person or correctional services official;

(b) tampering with or defacing history tickets, records or documents, maintained in physical or electronic form;

(c) receiving, possessing or transferring any prohibited article other than wireless communication devices and/or their ancillary components;

(d) escape or attempt to escape, conspiring to escape or to assist in escaping;

(e) unauthorized use or possession of wireless communication devices and/or their ancillary components;

(f) tresspassing in or loitering about in the prison and correctional institution premises where entry is not allowed;

(g) unauthorized communication with any person;

(h) impersonating a correctional services official or employee of the Government;

(i) smuggling or attempting to smuggle or to have in possession prohibited article other than wireless communication devices and/or their ancillary components in the prison and correctional institution;

(j) intimidating fellow prisoners into making false representation against the correctional services officials;

(k) resorting to strike or start or continue any agitation or participating in or inciting mass hunger strike or any other act of defiance or indiscipline;

(l) sexual harassment or sodomy;

(m) participating in or organizing anti-social activities, as may be prescribed under the rules;

(n) assault or use of force on anyone, attack by one group of prisoners on another group;

(o) aiding or abetting or facilitating the commission of any of the aforesaid offences.

42. **Punishment for Prison and Correctional Institution offences.-** The Superintendent after conducting an inquiry, as may be prescribed under the rules, may impose any of the following punishment with respect to the prison and correctional institution offences indicated in sub-section (1) or (2) of Section 41, namely:-

Minor punishments.- A minor offence indicated in sub-section (1) of Section 41 shall be dealt with any or a combination of the following punishments, namely:-

(a) a formal warning, which means a warning personally addressed to a prisoner by the Superintendent and recorded in the punishment book and in the prisoner's history ticket;

(b) restricting visits of all the visitors except legal counsel up to a period of one month;

(c) forfeiture of wages of not more than 10 days in one calendar month;

(d) stoppage of privileges given to the prisoners not exceeding one month at a time, as may be prescribed under the rules.

Major punishments.- A major offence indicated in sub-section (2) of Section 41 except for clause (e) of sub-section (2) of Section 41 for which the punishment shall be as per the provisions of Section 46, shall be dealt with any one or a combination of the following punishments, namely:-

(a) stoppage of privileges given to the prisoners not exceeding three months at a time, as may be prescribed under the rules;

(b) transfer to any other prison and correctional institution and consequent loss of privileges, as may be prescribed under the rules;

(c) forfeiture of earned remission up to thirty days;

(d) suspension of privileges of parole for a period not exceeding one year starting from the date of the prisoner's next eligibility for release on parole;

(e) stoppage or reduction of facilities in respect of recreation, canteen, visitor to prisoner, wages, nature of work for one month to three months at a time;

(f) separate confinement for any period not exceeding three months at a time:

Provided that no punishment of separate confinement exceeding one month shall be repeated without a gap of fifteen days:

Provided further that no old aged prisoner (65+ years) or woman prisoner shall be confined to separate confinement.

43. **Procedure for offences covered under other laws.-** The offences in such cases which constitute an offence under the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law shall be dealt with the provisions of that particular law.

44. **Procedure on repeated committal of a prison and correctional institution offence.-** If any prisoner is guilty of an offence against prison and correctional institution discipline, which by reason of his having frequently committed such offence or otherwise, in the opinion of the Superintendent, is not adequately punishable by the award of any punishment which he has the power to award under this Act, the Superintendent shall forward the case of such prisoner to the competent Magistrate having jurisdiction, together with a statement of the circumstances and such Judicial Magistrate shall thereupon try the charge so brought against the prisoner and upon conviction, may sentence him to imprisonment, which may extend for a period up to three years. Such term shall be in addition to any other term which such prisoner may be already undergoing.

45. **Punishment for escape or attempt to escape.-** If any prisoner escapes or attempts to escape from prison and correctional institution in which he may be lawfully confined or to a court for production or to the hospital to which he has been sent or while going there to or returning from there or whenever he is working outside or is otherwise beyond the limits of any such prison and correctional institution, upon the information by the Superintendent, the police shall act as per Section 262 of the the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and he shall be on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or both. The offence under this Section shall be cognizable and non-bailable.

46. **Punishment for possessing or using wireless communication devices and/or their ancillary component.-** (1) Whoever, whether a prisoner, visitor or correctional services official violates any provisions of the Act or the rules made thereunder by possessing or using wireless communication devices and/or their ancillary components, or by introducing, removing, or attempting to do so into or from any prison or correctional institution, or by supplying or attempting to supply such devices to any prisoner or by communicating or attempting to communicate with any prisoner, or manipulating, damaging or destroying prison equipment, electronic or otherwise shall, upon conviction before a magistrate, be liable for imprisonment for a minimum period of two years, extendable upto three years, alongwith a fine not exceeding Rupees Five Lakhs.

(2) The prisoner shall undergo the sentence awarded under sub-section (1) on completion of any sentence, if already undergoing.

(3) The offences mentioned in sub-section (1) shall be cognizable and non-bailable.

47. **Entries in punishment book.-** (1) In the punishment book as prescribed under the rules there shall be recorded, in respect of every punishment awarded, the prisoner's name, register number and the classification (whether habitual or not) to which he belongs, the prison and correctional institution offence of which he was guilty, the date on which such prison and correctional institution offence was committed, the number of previous prison and correctional institution offences recorded against the prisoner (if any), and the date of his last prison and correctional institution offence (if any), the punishment awarded and the date thereof.

(2) For every major prison and correctional institution offence, the names of the witnesses proving the offence shall be recorded and the Superintendent shall record the substance of the evidence of the witnesses, the defence of the prisoner and the findings with the reasons thereof.

(3) Against the entries relating to each punishment, the Deputy Superintendent and Superintendent shall affix their signatures as evidence of the correctness of the entries.

CHAPTER-XIV
SENTENCE PLANNING

48. **Individual Sentence Planning.-** (1) A sentence plan setting out the programme of treatment of prisoners may be prepared by the Superintendent, which shall help in the prisoner's rehabilitation and social reintegration, as may be prescribed under the rules.

(2) The individual sentence plans may be updated and recorded in the prisoner's files on periodic basis.

49. **Work programme and wages.-** (1) Every prisoner, including under trial prisoner or civil prisoner or prisoner sentenced to simple imprisonment, while in custody, may be provided the opportunity of work, if available and be paid commensurate wages at such rate, as may be prescribed under the rules.

(2) The record of wages earned and spent by any prisoner, particulars of deferred wages and matters incidental thereto shall be maintained by the Superintendent.

(3) The Government may frame a scheme which may be called the Prisoners Welfare Fund for the welfare of the prisoners in the State.

CHAPTER-XV
OPEN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

50. **Open Correctional Institutions.-** (1) The Government may establish and maintain as many open correctional institutions for prisoners, as may be required.

(2) The Government may allow such facilities or concessions in such open correctional institution which may help the prisoner in his rehabilitation into the society, as may be prescribed under the rules.

(3) The rules for administration of open correctional institutions including the procedure and eligibility of prisoners who can be transferred to such open correctional institutions, process of dealing with prisoners who violate any condition of transfer to an open correctional institution shall be such, as may be prescribed under the rules.

CHAPTER-XVI
PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTION LEAVE, REMISSION AND PRE-MATURE RELEASE

51. **Parole and Furlough.-** (1) Prison and correctional institution leave may be granted to eligible convicted prisoners as an incentive for good behaviour and responsiveness to correctional treatment with the objective of their rehabilitation into the society, as may be prescribed under the rules.

(2) There may be the following types of prison and correctional institution leaves, namely:-

(a) regular parole;
(b) emergency parole;
(c) furlough.

(3) Regular Parole may be granted to eligible convicts after the completion of three years of confinement by the Competent Authority under such conditions and for such purposes, as may be prescribed under the rules. The period spent on regular parole may not exceed fifteen days at a time and may not be granted more than three times in a year provided there would be atleast a minimum period of three months between the grant of two regular paroles. The period spent on regular parole shall not be counted as part of sentence,

(4) Emergency Parole may be granted by the Competent Authority to eligible convicts in rare or emergent situations, under police protection for a period extending up to 48 hours, as prescribed under the rules. The period spent under this parole shall be counted towards part of sentence.

(5) Furlough may be granted to eligible convicts by the Competent Authority, as an incentive for maintaining good conduct and discipline in the prison and correctional institution after the completion of three years of confinement for a period not more than 14 days in a calendar year. The period spent on furlough shall be counted towards part of sentence.

(6) For prisoners governed by any of the laws relating to the Armed Forces of the Union, the grant of leave shall be subject to laws relating to the Armed Forces of the Union.

(7) If a prisoner on parole or furlough fails to surrender on the due date, upon intimation by the Superintendent, the police shall act as per Section 262 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

52. **Remission to prisoners.-** Subject to the overall good behaviour and conduct of a convicted prisoner, while serving the sentence, remission may be granted by the Competent Authority, as may be prescribed under the rules.

53. **Pre-mature release.-** Pre-mature release may be allowed to a prisoner by the Competent Authority with the objective of his rehabilitation and reintegration into the society. The Government may constitute a Sentence Review Board for considering and recommending cases for premature release of a convicted prisoner, as may be prescribed under the rules.

CHAPTER-XVII
INSPECTION OF PRISON AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS

54. **Inspection of Prison and Correctional Institutions.-** (1) There shall be a two-fold system for inspections of prison and correctional institution:–

(a) **Inspection conducted by senior correctional services officials.-** The Head of Directorate may have a prison and correctional institution inspected by an official of appropriate rank at periodic intervals, as may be prescribed under the tules;

(b) **Inspections conducted by the Board of Visitors.-** Board of visitors may be headed by the Principal District and Session Judge/Additional District Judge/Chief Judicial Magistrate, as the case may be and may comprise of such other official and non-official members for carrying out inspections, as may be prescribed under the rules.

(2) After inspection under clause (a) of sub-section (1) of section 54, a written report shall be submitted to the Head of Directorate, as may be prescribed under the rules.

CHAPTER-XVIII
MISCELLANEOUS

55. **Legal Aid.-** The Government may provide the facility of free legal aid to the prisoners in accordance with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and the Standard Operating Procedure prescribed by National Legal Services Authority/State Legal Services Authority/ District Legal Services Authority or as may be prescribed under the rules.

56. **Constitution of Under Trial Review Committee for every district.-** (1) There shall be an Under Trial Review Committee for every district, headed by the Principal District and Sessions Judge and comprising of such other members and for carrying out such functions, as may be prescribed under the rules.

(2) The Committee shall meet periodically and review the cases of eligible prisoners in all prison and correctional institutions of the district and make appropriate recommendations.

57. **Grievance Redressal Mechanism.-** There shall be an appropriate mechanism for redressal of the grievances of the prisoners, as may be prescribed under the rules.

58. **Supply of clothing and bedding to civil and under trial criminal prisoners.-** (1) Every civil prisoner and under trial criminal prisoner unable to provide himself with sufficient clothing and bedding shall be supplied by the Superintendent as may be necessary.

(2) When any civil prisoner is committed to prison and correctional institution in execution of a decree in favour of a private person such person or his representative, shall within forty-eight hours after the receipt by him of a demand in writing, pay to the Superintendent the cost of the clothing and bedding so supplied to the prisoner and in default of such payment the prisoner may be released.

59. **Prohibition of strike and agitation.-** No visitor or correctional Services official shall have right to strike or start or continue any agitation inside the prison and correctional institution.

60. **Emergency.-** The Superintendent shall take all appropriate measures, including the procurement of necessary equipments and preparation of a contingency plan, for preventing and controlling any emergency situation in the prison and correctional institution, including ensuring availability of quick reaction team and any other provision in conformity with the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) or any other relevant Act and orders or instructions issued by Competent Authority, as may be prescribed under the rules.

61. **Prison and Correctional Institution Development Board.-** The State may set up a Prison and Correctional Institution Development Board with the objective of modernizing infrastructural

facilities to provide better correctional services to prisoners and welfare of the correctional services officials and may make rules for composition of such Board, its responsibilities and manner of governance.

62. **Delegation of Powers.-** Any of the powers conferred by this Act may be exercised and performed by such officials, as the Government may designate in this regard.

63. **Accounts and Audits.-** The accounts of every prison and correctional institution shall be maintained and audited in such manner, as may be prescribed by the Government.

64. **Protection of action taken in good faith.-** No suit, Prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any functionary of the Government in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules made or orders or directions issued thereunder.

65. **Reward and Recognition.-** The Government shall, for maintaining the necessary level of quantitative and qualitative competence of the officials of the correctional services, evolve a system of reward, recognition and appreciation for meritorious services as may be prescribed under the rules.

66. **Power of the Government to make rules.-** The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with the Act and include but not limited to the following, namely:-

(1) regarding custody of a prisoner committed to it under writ, warrant or by the order of any Court or any other Competent Authority;

(2) to provide for suitable measures for the safety and security of prisoners;

(3) to provide the prisoners with accommodation, food, clothing, clean and sufficient water, toiletries, other necessities and medical services;

(4) to provide the prisoners access to adequate, gender-responsive physical and mental health care facilities;

(5) to provide correctional services to the prisoners with the objective of rehabilitating them in the society as law abiding citizens;

(6) to maintain discipline in the prison and correctional institution in accordance with the provisions of this Act;

(7) to provide after care service with a view to ensure prisoners reintegration and rehabilitation in the society;

(8) to provide sufficient number of prison and correctional institutions in the State for accommodating the prisoners;

(9) regarding the pattern of construction of a prison and correctional institution and its architectural design;

(10) to provide for the standards of security for each prison and correctional institution;

(11) to provide for the use of technology in prison and correctional institution;

(12) to provide for facilitating segregation and separate lodging of various categories of prisoners and/or for attending to special needs of prisoner;

(13) to provide for an institutional set-up which may be decided in accordance with the need and requirement of prisoners, the inmate population, workload of correctional services officials;

(14) to provide for the appointment of the Head of Directorate;

(15) to provide for officials as may be necessary to assist the Head of Directorate for performing such duties;

(16) to provide for correctional services officials, as may be necessary for every prison and correctional institution;

(17) to provide for the general administrative control and management of a prison and correctional institution;

(18) regarding utilization of the services of prisoners for the day-to-day administration and Management of the prison and correctional institution;

(19) to provide for the qualifications, recruitment, appointment and training of officials of the prison and correctional institution;

(20) to provide for safe custody of all documents/records, including records in electronic format, money and other articles taken from prisoner;

(21) regarding the duties and functions of medical officer;

(22) to provide for the transfer to a mental health establishment of prisoners with mental illness;

(23) regarding the search of prisoners;

(24) regarding foreign prisoners;

(25) regarding the committee for classification and security assessment of prisoners;

(26) regarding duties and functions of correctional services officials;

(27) regarding administration of management of women prisoners;

(28) regarding action taken in case of a complaint of sexual harassment or sodomy;

(29) regarding administration and management of visitors to prisoners;

(30) to provide for the manner of enforcing prison and correctional institution discipline;

(31) regarding prison and correctional institution offences and punishment;

(32) regarding use of arms against any prisoner(s) in case of an outbreak or attempt to escape;

(33) to provide for sentence plan for prisoners;

(34) regarding work programme and wages of prisoners;

(35) regarding administration and management of open correctional institution;

(36) regarding prison and correctional institution leave- parole and furlough;

(37) regarding remission and pre-mature release of prisoners;

(38) regarding the inspection of prison and correctional institutions;

(39) regarding the composition, responsibilities and manner of governance of Prison and Correctional Institution Development Board;

(40) regarding reward, recognition and appreciation for correctional services

67. **Repeal and Saving.-** (1) The Prisons Act, 1894 (9 of 1894), the Prisoners Act, 1900 (3 of 1900) and the Transfer of Prisoners Act, 1950 (29 of 1950) as applicable to the State of Madhya Pradesh are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything contained this Act, all the rules, regulations, orders, directions, notifications relating to prisons made under Acts mentioned in sub-section (1) of section 68 and in force immediately before the commencement of this Act shall except where and so far, as they are inconsistent with or repugnant to the provisions of this Act, continued to be in force until altered, amended or repealed by rules made under this Act.

68. **Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such Provisions or take such measures, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) The Government may, make an order under sub-section (1) to have effect from any date not earlier than the date of commencement of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.